SOCIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT

सामाजिक एवं आर्थिक विकास

पुस्तक के बारे में

किसी राष्ट्र की प्रगति की जटिल टेपेस्ट्री में, आर्थिक और सामाजिक विकास के धागे एक साथ जुड़कर अवसर, समानता और समृद्धि का ताना-बाना बनाते हैं। जैसे-जैसे हम **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की** रूपरेखा को पार करते हैं, जो शिक्षा में क्रांति लाने के लिए तैयार एक दूरदर्शी रूपरेखा है, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को समझने का महत्व तेजी से सर्वोपरि हो जाता है। यह इस परिवर्तनकारी संदर्भ में है कि पुस्तक **"आर्थिक और सामाजिक विकास: एक एनईपी 2020 और एनसीईआरटी परिप्रेक्ष्य"** अपना रूप लेती है, जो देश के विकास पथ की व्यापक समझ की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तत्वावधान में, "बने भारत भाग्य निर्माण" जैसी महत्वपूर्ण पहल के** हिस्से के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार की गई यह पुस्तक केवल जानकारी का संकलन नहीं है; यह एक बौद्धिक यात्रा है. **NEP 2020 के सिद्धांतों के साथ सहजता** से संरेखित, यह आर्थिक और सामाजिक विकास की जटिल अवधारणाओं को सुलभ आख्यानों में प्रस्तुत करता है, जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अमूल्य संसाधन प्रदान करता है। **सरकारी या कॉर्पोरेट भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दायरे से परे, यह पुस्तक केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की तैयारी करने वालों के लिए भी समान प्रासंगिकता रखती है।** "संविधान को जानो, भारत को पहचानो" के मार्गदर्शक आदर्श वाक्य पर आधारित यह राष्ट्र को आकार देने वाली सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को उजागर करते हुए भारत की संवैधानिक भावना के सार को उजागर करता है। भीतर के अध्याय आर्थिक सिद्धांतों, विकास मॉडल और प्रगति को परिभाषित करने वाले सामाजिक कारकों की सूक्ष्म परस्पर क्रिया के दायरे को पार करते हैं। यह एक ऐसे राष्ट्र की आकांक्षाओं को समाहित करता है जो समावेशिता और समान अवसर को बढ़ावा देते हुए अपने नागरिकों का उत्थान करना चाहता है। जैसे-जैसे पाठक इस पुस्तक से जुड़ते हैं, वे न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए भी खुद को तैयार करते हैं। **"आर्थिक और सामाजिक विकास: एक एनईपी 2020 और एनसीईआरटी परिप्रेक्ष्य" केवल ज्ञान का भंडार नहीं है; यह सूचित नागरिकों को आकार देने के लिए एक मार्गदर्शिका है जो परिवर्तन ला सकते हैं, नीतिगत निर्णयों में योगदान दे सकते हैं और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।**

kOTHARI PUBLICATION LLP

सर्वाधिकार सुरक्षित

यह प्रकाशन और इसकी सामग्री कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल तरीके शामिल हैं, पुनरुत्पादित, वितरित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है, सिवाय (संक्षिप्त उद्धरणों के मामले में एवं आलोचनात्मक समीक्षाओं और कॉपीराइट कानून द्वारा अनुमत कुछ अन्य गैर-व्यावसायिक उपयोगों में)

अनुमति अनुरोधों के लिए, कोठारी प्रकाशन एलएलपी, इंदौर से संपर्क करें।

इस प्रकाशन की सामग्री की अनधिकृत प्रतिलिपि या वितरण निषिद्ध है और इसके परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रकाशक और लेखक ने इस पुस्तक में सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन वे सामग्री की सटीकता या पूर्णता, या इसके आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

पूछताछ और जानकारी के लिए संपर्क करें:

कोठारी पब्लिकेशन एलएलपी इंदौर

INDEX – भारतीय अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास

1. अर्थशास्त्र की शाखाएं	01-03
2. वित्तीय साक्षरता	04-05
3. वित्तीय समावेशन	06-07
4. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता	08-10
5. विभिन्न प्रकार के क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में	11-14
6. आर्थिक विकास बनाम आर्थिक विकास के बीच अंतर	15-16
7. राष्ट्रीय आय	17-17
8. भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय	18-18
9. वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था	19-21
10. भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य	22-22
11. भारत में मानव संसाधन की स्थिति	23-25
12. भारत में प्राकृतिक संसाधन की स्थिति	26-27
13. भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ चुनौती	28-30
14. नए भारत को प्राप्त करने के लिए समग्र प्रोत्साहन	31-35
15. नीति आयोग की उत्पत्ति और इसका उद्देश्य	36-43
16. बैंकिंग प्रणाली का ऐतिहासिक विकास	44-48
17. सामाजिक सशक्तिकरण	49-54
18. भारत में कृषि क्षेत्र	55-91
19. महतवपूर्ण प्रश्न	92 – 104

अर्थशास्त्र की शाखाएँ

अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो समाज में संसाधनों के इष्टतम वितरण से संबंधित है। विषय के भीतर, कई अलग-अलग शाखाएँ हैं जो विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसके अलावा, अलग-अलग विचारधाराएं हैं जो आम तौर पर अर्थशास्त्र के पहलुओं पर अलग-अलग विचार रखती हैं।

प्रमुख वर्गीकरण

1. **व्यष्टि अर्थशास्त्र**
    - **सूक्ष्मअर्थशास्त्र** अध्ययन करता है कि व्यक्तिगत उपभोक्ता और कंपनियां संसाधनों के आवंटन के लिए कैसे निर्णय लेते हैं।
    - चाहे एक अकेला व्यक्ति हो, एक परिवार हो, या एक व्यवसाय हो, अर्थशास्त्री यह विश्लेषण कर सकते हैं कि ये संस्थाएं कीमत में बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और वे विशेष मूल्य स्तरों पर जो करते हैं उसकी मांग क्यों करते हैं।
    - **आपूर्ति और मांग की** गतिशीलता के भीतर , वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत, और श्रम को कैसे विभाजित और आवंटित किया जाता है, सूक्ष्मअर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि व्यवसाय कैसे व्यवस्थित होते हैं और कैसे व्यक्ति अपने निर्णय लेने में अनिश्चितता और जोखिम का सामना करते हैं।

2. **समष्टि अर्थशास्त्र**
    - मैक्रोइकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है।
    - इसका **प्राथमिक फोकस** आवर्ती आर्थिक चक्र और व्यापक आर्थिक वृद्धि और विकास है।
    - इसके अलावा, यह विदेशी व्यापार, सरकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति का स्तर, ब्याज दरें, कुल उत्पादन उत्पादन की वृद्धि और व्यापार चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके परिणामस्वरूप विस्तार, उछाल, मंदी और मंदी होती है।

अन्य वर्गीकरण

- **शास्त्रीय अर्थशास्त्र** शास्त्रीय अर्थशास्त्र को अक्सर आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव माना जाता है। इसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जीन-बैप्टिस्ट से द्वारा विकसित किया गया था।
- यह आधारित है:

मुक्त बाज़ारों का संचालन. अदृश्य हाथ और बाज़ार तंत्र संसाधनों के कुशल आवंटन को कैसे सक्षम कर सकते हैं।

शास्त्रीय अर्थशास्त्र सुझाव देता है कि आम तौर पर, अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक कुशलता से काम करती हैं जब सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और निजी संपत्ति की सुरक्षा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और सीमित सरकारी खर्च से संबंधित होता है।

शास्त्रीय अर्थशास्त्र मानता है कि रक्षा , कानून और व्यवस्था और शिक्षा जैसे सार्वजनिक सामान प्रदान करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है ।

2. **नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र**
    - नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र मुक्त-बाजार आधारित शास्त्रीय अर्थशास्त्र की नींव पर निर्मित हुआ। इसमें नए विचार शामिल थे जैसे:
        - उपयोगिता अधिकतमीकरण .
        - तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत
        - सीमांत विश्लेषण। व्यक्ति मार्जिन पर निर्णय कैसे लेंगे - सीमांत लागत और लाभ को देखते हुए सबसे अच्छा विकल्प चुनना।

3. **कीनेसियन अर्थशास्त्र**
    - कीनेसियन अर्थशास्त्र का विकास 1930 के दशक में महामंदी की पृष्ठभूमि में हुआ था।
    - मौजूदा आर्थिक रूढ़िवाद लगातार आर्थिक मंदी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की व्याख्या करने में असमर्थ था। कीन्स ने सुझाव दिया कि बाज़ार कई कारणों से साफ़ होने में विफल रहे (उदाहरण के लिए मितव्ययिता का विरोधाभास, नकारात्मक गुणक, कम आत्मविश्वास)।
    - इसलिए, कीन्स ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की।
    - कीन्स ने तर्क दिया कि समग्र अर्थव्यवस्था अलग-अलग बाजारों में बहुत अलग तरीकों से काम कर सकती है और विभिन्न नियमों और नीतियों की आवश्यकता है।

4. **मुद्रावादी अर्थशास्त्र**
    - युद्धोत्तर काल में मुद्रावाद आंशिक रूप से कीनेसियन अर्थशास्त्र के प्रभुत्व की प्रतिक्रिया थी।
    - मिल्टन फ्रीडमैन के नेतृत्व में मुद्रावादियों ने तर्क दिया कि कीनेसियन राजकोषीय नीति कीनेसियन द्वारा सुझाई गई तुलना में बहुत कम प्रभावी थी।

- मुद्रावादियों ने पिछले शास्त्रीय आदर्शों को बढ़ावा दिया, जैसे बाज़ारों की दक्षता में विश्वास। उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में धन आपूर्ति के नियंत्रण पर भी जोर दिया।

5. **ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्र**
   - यह अर्थशास्त्र का एक और स्कूल है जो राज्य के हस्तक्षेप, मूल्य नियंत्रण का आलोचक था।
   - यह मोटे तौर पर मुक्त बाज़ार है।

6. **मार्क्सवादी अर्थशास्त्र**
   - पूंजीवाद की असमान और अस्थिर प्रकृति पर जोर देता है ।
   - बुनियादी आर्थिक सवालों पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की तलाश है।
   - मुक्त बाज़ार पर निर्भर रहने के बजाय संसाधनों के स्वामित्व, योजना और वितरण में राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करें।

7. **नव-उदारवाद/नव-शास्त्रीय**
   - शास्त्रीय अर्थशास्त्र की एक आधुनिक व्याख्या.
   - मुद्रावाद के साथ काफी ओवरलैप। मूल रूप से मुक्त बाज़ारों, प्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार, निजीकरण , कम सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने से संबंधित है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं में कुछ न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप है।

अर्थशास्त्र की नई शाखाएँ

1. **पर्यावरण अर्थशास्त्र/कल्याण अर्थशास्त्र**
   - इसमें पर्यावरण पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
     - बाह्य लागतों और बाह्य लाभों का नव-शास्त्रीय विश्लेषण। इस दृष्टि से मनुष्य के लिए प्रदूषण कम करना तर्कसंगत है
     - बाज़ार की विफलताएँ - आम लोगों की त्रासदी, सार्वजनिक वस्तुएँ, बाहरी लागत, बाहरी लाभ।
     - पर्यावरणीय अर्थशास्त्र अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपना सकता है - यह प्रश्न करना कि क्या आर्थिक विकास वास्तव में वांछनीय है।

2. **व्यवहारिक अर्थशास्त्र**

यह आर्थिक निर्णय लेने और आर्थिक गतिविधि के पीछे के मनोविज्ञान की जांच करता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र इस धारणा की सीमा की जांच करता है कि व्यक्ति पूरी तरह तर्कसंगत हैं। इसमें शामिल है:

बंधी हुई तर्कसंगतता - लोग अंगूठे के नियमों के अनुसार चुनाव करते हैं
अतार्किक उत्साह - लोग संपत्ति के बुलबुले में बह जाते हैं।
नजेज/चॉइस आर्किटेक्चर - निर्णयों की रूपरेखा परिणाम को कैसे प्रभावित करती है

3. **विकास अर्थशास्त्र**

दुनिया के गरीब देशों में गरीबी और अल्प-विकास के मुद्दों से चिंतित। विकास अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक विकास के सूक्ष्म और स्थूल दोनों पहलुओं से है। मुद्दे शामिल हैं

- व्यापार बनाम सहायता
- पूंजी निवेश में वृद्धि.
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सर्वोत्तम उपाय
- तीसरी दुनिया का कर्ज

4. **अर्थमिति**

सरल संबंध खोजने के लिए डेटा का उपयोग.

इकोनोमेट्रिक्स आर्थिक नीतियों के परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों, प्रतिगमन मॉडल और डेटा का उपयोग करता है।

5. **श्रम अर्थशास्त्र**

श्रम रोजगार और श्रम बाजारों पर एकाग्रता ।

श्रम अर्थशास्त्र श्रम आपूर्ति और श्रम के सीमांत राजस्व उत्पाद के नव-शास्त्रीय आधार से शुरू होता है ।

श्रम अर्थशास्त्र में हाल के घटनाक्रमों ने प्रेरणा, आनंद और श्रम बाजार की खामियों जैसे गैर-मौद्रिक कारकों पर अधिक जोर दिया है।

वित्तीय साक्षरता क्या है

वित्तीय साक्षरता बजट, निवेश, उधार लेना, कराधान और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन जैसे वित्तीय घटकों और कौशल की संज्ञानात्मक समझ है। ऐसे कौशल के अभाव को आर्थिक रूप से निरक्षर कहा जाता है।

वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (एफआईएनआरए) के अनुसार , लगभग 66% अमेरिकी आबादी वित्तीय रूप से निरक्षर मानी जाती है।

वित्तीय रूप से साक्षर होने से व्यक्ति विशिष्ट वित्तीय बाधाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाता है, जिससे व्यक्तिगत आर्थिक संकट की संभावना कम हो जाती है।

छात्र ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड, निवेश और स्वास्थ्य बीमा जैसे जीवन के रोजमर्रा के पहलुओं के कारण आज के समाज में वित्तीय साक्षरता हासिल करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय साक्षरता के मौलिक घटक

वित्तीय साक्षरता में कई वित्तीय घटक और कौशल शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति को धन और ऋण के प्रभावी प्रबंधन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

नीचे वित्तीय साक्षरता के मूलभूत घटक दिए गए हैं जिन्हें सीखा जाना चाहिए।

1. बजट बनाना

बजट बनाने में , पैसे के चार मुख्य उपयोग होते हैं जो बजट निर्धारित करते हैं: खर्च करना, निवेश करना, बचत करना और देना।

धन के प्राथमिक उपयोग के दौरान सही संतुलन बनाने से व्यक्तियों को अपनी आय को बेहतर ढंग से आवंटित करने की अनुमति मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि आती है।

सामान्य तौर पर, एक बजट इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो सभी मौजूदा ऋणों का भुगतान कर दे, जबकि बचत और लाभकारी निवेश के लिए पैसा अलग रख दे।

2. निवेश करना

वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए, किसी व्यक्ति को निवेश के संबंध में प्रमुख घटकों के बारे में सीखना चाहिए। अनुकूल निवेश सुनिश्चित करने के लिए जिन घटकों को सीखा जाना चाहिए उनमें ब्याज दरें, मूल्य स्तर, विविधीकरण, जोखिम शमन और सूचकांक शामिल हैं।

महत्वपूर्ण निवेश घटकों के बारे में सीखने से व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की अनुमति मिलती है जिसके परिणामस्वरूप आय का प्रवाह बढ़ सकता है।

3. उधार लेना

ज्यादातर मामलों में, लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय पैसे उधार लेने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधार प्रभावी ढंग से लिया जाए, ब्याज दरों, चक्रवृद्धि ब्याज, पैसे का समय मूल्य , भुगतान अवधि और ऋण संरचना की समझ महत्वपूर्ण है।

यदि उपरोक्त मानदंडों को पर्याप्त रूप से समझा जाता है, तो किसी व्यक्ति की वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, जो व्यावहारिक उधार दिशानिर्देश प्रदान करेगी और दीर्घकालिक वित्तीय तनाव को कम करेगी।

4. कराधान

कराधान के विभिन्न रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और वे किसी व्यक्ति की शुद्ध आय को कैसे प्रभावित करते हैं, वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह रोजगार हो, निवेश हो, किराया हो, विरासत हो या अप्रत्याशित, आय के प्रत्येक स्रोत पर अलग-अलग कर लगाया जाता है।

विभिन्न आयकर दरों के बारे में जागरूकता आर्थिक स्थिरता की अनुमति देती है और आय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय प्रदर्शन को बढ़ाती है।

5. व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन

सबसे महत्वपूर्ण मानदंड, व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, में ऊपर सूचीबद्ध सभी घटकों का संपूर्ण मिश्रण शामिल है।

उधार और ऋण को कम करते हुए निवेश और बचत को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए उपरोक्त वित्तीय घटकों के मिश्रण को संतुलित करके वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

ऊपर चर्चा किए गए वित्तीय घटकों का गहन ज्ञान प्राप्त करना किसी व्यक्ति की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि की गारंटी देता है।

वित्तीय साक्षरता का महत्व

वित्तीय साक्षरता प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो एक व्यक्ति लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है।

नीचे सूचीबद्ध कुछ वास्तविक दुनिया के तथ्य हैं जो वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने के समग्र महत्व पर जोर देते हैं।

- यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 78% अमेरिकी वेतन-दर-तनख्वाह जीते हैं।
- 189 मिलियन से अधिक अमेरिकी आबादी के पास क्रेडिट कार्ड हैं।
- औसतन, क्रेडिट कार्ड मालिकों के पास प्रत्येक के लिए लगभग चार कार्ड होते हैं।
- 44 मिलियन से अधिक उधारकर्ताओं के लिए छात्र ऋण ऋण लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर है।
- क्रेडिट कार्ड ऋण का स्तर $1.04 ट्रिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है।
- कुल मिलाकर, अमेरिकियों पर लगभग 12.58 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है।

ऊपर दर्शाए गए आँकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आज के वित्तीय माहौल में वित्तीय साक्षरता सर्वोपरि क्यों है।

वित्तीय साक्षरता के लाभ

वित्तीय रूप से साक्षर होना एक ऐसा कौशल है जो विभिन्न प्रकार के लाभ लाता है जो वित्तीय स्थिरता में वृद्धि के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है।

वित्तीय रूप से साक्षर होने के लाभों का वर्गीकरण नीचे सूचीबद्ध है:

- बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता
- धन एवं ऋण का प्रभावी प्रबंधन
- वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बेहतर सुविधाएं
- बेहतर विनियमन के माध्यम से खर्चों में कमी
- कम वित्तीय तनाव और चिंता
- बीमा, ऋण, निवेश चुनते समय और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय नैतिक निर्णय लेने में वृद्धि
- एक संरचित बजट का प्रभावी निर्माण

वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए कदम उठाना जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वित्तीय मजबूती सुनिश्चित कर सकता है, चिंता को कम कर सकता है और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहित कर सकता है।

वित्तीय साक्षरता कहाँ से प्राप्त करें

मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के अलावा, ऐसे कई उपकरण और ऑनलाइन मॉड्यूल हैं जो किसी व्यक्ति की वित्तीय साक्षरता को बढ़ा सकते हैं।

नीचे कुछ उपकरण सूचीबद्ध हैं जिनका उपयोग कोई व्यक्ति वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कर सकता है:

- **EconEdLink** : K-12 छात्रों के लिए ऑनलाइन वित्तीय पाठ
- **मनी स्मार्ट** : वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए मुफ़्त वित्तीय उपकरण जैसे पॉडकास्ट, पाठ योजना और गेम
- **MoneyWi$e : कैपिटल वन और** कंज्यूमर एक्शन के बीच साझेदारी में , MoneyWi$e मुफ़्त बहुभाषी वित्तीय शिक्षा प्रदान करता है
- **प्रभारी** : व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित, प्रभारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन ई-पुस्तकें प्रदान करता है

ऊपर सूचीबद्ध विकल्पों में से कोई भी लाभकारी वित्तीय ज्ञान प्रदान करता है जिसे यदि कोई व्यक्ति अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाना चाहता है तो अपनाया जाना चाहिए।

वित्तीय समावेशन

विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। वित्तीय सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता वित्तीय समावेशन के 3 स्तंभ हैं। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग और वित्तीय समाधान और सेवाएँ प्रदान करने की एक विधि है।

भारत में वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ:

1. **सामाजिक-आर्थिक कारक: वित्तीय बहिष्करण** कम आय वाले परिवारों की सामाजिक स्थितियों से संबंधित है , जो उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। कम आय, कम बचत और आम तौर पर जागरूकता का निम्न स्तर जैसी विभिन्न बाधाएं वित्तीय समावेशन में बाधा डालती हैं।
2. **भौगोलिक कारक:** रंगराजन समिति की समीक्षा से पता चलता है कि देश के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में घरों में वित्तीय बहिष्कार आंशिक रूप से खराब बुनियादी ढांचे के कारण सबसे अधिक है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में दूरदर्शिता और कम आबादी के कारण पहुंच संबंधी समस्याएं हो रही हैं।
3. **उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सीमित उपलब्धता:** वित्तीय समावेशन का मुख्य चालक स्थिर और विश्वसनीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रसार है। दरवाजे पर लेनदेन की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे और लागत प्रभावी तकनीक की कमी वित्तीय समावेशन में बाधा है।
4. **दायित्व की धारणा:** वित्तीय संस्थान अनियमित आय वाले छोटे मूल्य और लाभहीन ग्राहकों को सेवा देने में अनिच्छुक हैं। बैंक समावेशन को व्यावसायिक अवसर के बजाय एक दायित्व के रूप में देखते हैं। यह बैंकों को कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से हतोत्साहित करता है।
5. **दस्तावेज़ों की कमी:** उन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुँचने से रोकने वाला एक अन्य कारक विभिन्न दस्तावेज़ प्रमाण की आवश्यकता है। गरीबों के पास आमतौर पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण आदि जैसे दस्तावेजों का अभाव होता है।
6. **वित्तीय निरक्षरता:** बुनियादी शिक्षा का अभाव लोगों को वित्तीय समावेशन से संबंधित सरल जानकारी का भी पालन करने से रोकता है। वित्तीय साक्षरता का अभाव बड़ी बाधा है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण आबादी उच्च दरों पर वित्त प्राप्त करने के लिए ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर रहती है जो गरीबी और ऋण चुकौती के दुष्चक्र का कारण बनती है।

7. **पहुंच:** वर्तमान में, भारत के 6 लाख गांवों में से केवल 5% में ही बैंक शाखाएं हैं। निम्न स्तर की बैंकिंग सेवाओं वाले राज्यों में 296 अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिले हैं। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुँच ख़राब है जिसके कारण वित्तीय बहिष्कार होता है।

वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न सरकारी उपाय:

1. **प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): इसे** बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत, जिस व्यक्ति के पास बचत खाता नहीं है, वह बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के खाता खोल सकता है।
2. **स्वाभिमान अभियान:** स्वाभिमान का अर्थ है "आत्मसम्मान"। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने देश के वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक करके अधिक आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास देना है।
3. **बीमा और पेंशन योजनाएँ:** सरकार ने कई बीमा और पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं। इसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जन सुरक्षा योजना शामिल हैं।
4. **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** प्रधान मंत्री मुद्रा योजना गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तीय सुविधाओं की औपचारिक पहुंच प्रदान करती है। योजना का मूल उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर-वित्त पोषित क्षेत्र को बैंक वित्त को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है।
5. **आरबीआई की पहल:** आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक ऋण का एक निर्दिष्ट हिस्सा प्रदान करने के लिए), नो-फ्रिल खाते खोलना (शून्य या बहुत कम न्यूनतम शेष राशि वाला खाता), अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर छूट शामिल है । व्यवसाय संवाददाता (बीसी) (वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थ के रूप में) आदि।
6. **डिजिटल पहल:** डिजिटल इंडिया, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक जैसी पहल ने आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद की है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाली आबादी दोनों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय समावेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता और मजबूत बैंक शाखा नेटवर्क विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधार हैं। एक मजबूत और मजबूत वित्तीय प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि, विकास और प्रगति का स्तंभ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से विकसित हो तो वित्तीय बहिष्कार की समस्या से निपटना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

(i) कम प्रति व्यक्ति आय

(ii) भारी जनसंख्या दबाव

(iii) कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता

(iv) गरीबी और असमानता आय वितरण

(v) पूंजी निर्माण का उच्च स्तर जो एक सकारात्मक विशेषता है

(vi) नियोजित अर्थव्यवस्था

(i) कम प्रति व्यक्ति आय

- भारत विश्व में कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश के रूप में जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या पर राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक वर्ष में भारतीय नागरिक की औसत कमाई के बारे में जानकारी देता है, भले ही यह प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक कमाई को प्रतिबिंबित नहीं करता हो। वर्ष 2012-2013 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय 39,168 अनुमानित है।
- यह लगभग 3,264 प्रति माह बैठता है। अगर हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना दुनिया के अन्य देशों से करें तो पता चलता है कि भारत उनमें से कई देशों से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना अधिक है जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से तीन गुना अधिक है।

(ii) भारी जनसंख्या दबाव

- चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। 1990-2001 के दौरान इसमें 1.03 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेज गिरावट है जबकि जन्म दर में उतनी तेजी से कमी नहीं आई है। मृत्यु दर को प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि जन्म दर को प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 2010 में, जन्म दर प्रति एक हजार जनसंख्या पर 22.1 व्यक्ति थी जबकि मृत्यु दर प्रति एक हजार जनसंख्या पर केवल 7.2 व्यक्ति थी। वास्तव में यह विकास का संकेत है। कम मृत्यु दर बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को दर्शाती है। लेकिन उच्च जन्म दर एक समस्या है क्योंकि यह सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है।

- 1921 के बाद भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि जन्म दर में बहुत धीमी गति से गिरावट आई जबकि मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई। 1921 में जन्म दर 49 से घटकर 2010 में 22.1 हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान मृत्यु दर 49 से घटकर 7.2 हो गई। अतः भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई।
- भारी जनसंख्या दबाव भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। इसने सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढाँचा आदि प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए सरकारी खजाने पर बोझ डाला है।

(iii) कृषि पर निर्भरता

- भारत की अधिकांश कामकाजी आबादी अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि गतिविधियों पर निर्भर है। 2011 में भारत की लगभग 58 प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई थी। इसके बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17 प्रतिशत से कुछ अधिक है।
- भारत में कृषि की एक बड़ी चिंता यह है कि इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है।
- बड़ी संख्या को बनाए रखने के लिए भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र की उपलब्धता बहुत कम है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य नहीं है। दो, चूंकि प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम है, इसलिए अधिकांश लोग कम वेतन पर काम करने वाले कृषि श्रमिक बनने के लिए मजबूर हैं।
- तीन, भारतीय कृषि बेहतर प्रौद्योगिकी और सिंचाई सुविधाओं की कमी से ग्रस्त है।
- चार, ज्यादातर लोग, जो शिक्षित नहीं हैं या ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं, कृषि में लगे हुए हैं। इसलिए यह कृषि में कम उत्पादकता को बढ़ाता है।

(iv) गरीबी और असमानता

- भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में भारत में लगभग 269.3 मिलियन लोग गरीब थे। यह भारत की जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत था। एक व्यक्ति को गरीब कहा जाता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा में भोजन का उपभोग करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को भोजन सामग्री खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि भी अर्जित करनी होगी।
- सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि धन की आवश्यक राशि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये है। यह ग्रामीण क्षेत्र में लगभग `28 और शहरी क्षेत्र में `33 प्रति व्यक्ति प्रति दिन बैठता है। इसे गरीबी रेखा कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि 2011-

12 में भारत के 26.99 करोड़ लोग इतनी कम रकम नहीं कमा पा रहे थे. 2018 में, दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रति दिन प्रति व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा) से कम पर जीवन यापन करते थे।

- गरीबी आय और धन वितरण में असमानता के साथ आती है। भारत में बहुत कम लोगों के पास सामग्री और संपत्ति है, जबकि अधिकांश लोगों के पास भूमि स्वामित्व, घर, सावधि जमा, कंपनियों के शेयर, बचत आदि के मामले में न के बराबर या बहुत कम संपत्ति पर नियंत्रण है।
- भारत में केवल शीर्ष 5 प्रतिशत परिवारों का कुल संपत्ति के 38 प्रतिशत पर नियंत्रण है, जबकि निचले 60 प्रतिशत परिवारों का केवल 13 प्रतिशत संपत्ति पर नियंत्रण है। यह बहुत कम हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का संकेत देता है ।
- गरीबी से जुड़ा एक और मुद्दा बेरोजगारी की समस्या है। भारत में गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश की श्रम शक्ति में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसरों की कमी है।
- श्रम बल में वे वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं। यदि हर वर्ष पर्याप्त संख्या में नौकरियाँ पैदा नहीं होंगी तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी।
- जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का अपेक्षित गति से विस्तार न होना आदि कारणों से हर साल बड़ी संख्या में लोग श्रम शक्ति में जुड़ते हैं।

(v) पूंजी निर्माण या निवेश की उच्च दर

- स्वतंत्रता के समय, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या भूमि और भवन, मशीनरी और उपकरण, बचत आदि के रूप में पूंजी भंडार की कमी थी।
- उत्पादन और उपभोग जैसी आर्थिक गतिविधियों के चक्र को जारी रखने के लिए, उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बचत और निवेश की ओर जाना चाहिए।
- हालाँकि, आज़ादी के बाद पहले चार-पाँच दशकों में अपेक्षित अनुपात कभी उत्पन्न नहीं हुआ। इसका सीधा सा कारण आबादी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अधिक खपत है, जिनमें से अधिकांश गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के हैं।
- इससे सामूहिक घरेलू बचत बहुत कम थी। टिकाऊ वस्तुओं की खपत भी बहुत कम थी। लेकिन हाल के वर्षों में चीजें चार्ज हो गई हैं। अर्थशास्त्रियों ने गणना की है कि बढ़ती जनसंख्या का समर्थन करने के लिए,

- भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता है। यह जानकर उत्साहवर्धक है कि वर्ष 2011 के लिए भारत की बचत दर 31.7 प्रतिशत है। सकल पूंजी निर्माण का अनुपात 36.6 प्रतिशत था। यह संभव है क्योंकि लोग अब बैंकों में बचत करने, टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग करने में सक्षम हैं और सार्वजनिक उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

(vi) नियोजित अर्थव्यवस्था

- भारत एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। इसकी विकास प्रक्रिया 1951-56 के दौरान पहली योजना अवधि से पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जारी रही है। नियोजन का लाभ सर्वविदित है। योजना के माध्यम से देश पहले अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए वित्तीय अनुमान प्रदान करता है।
- तदनुसार, कम से कम लागत पर विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाता है। भारत पहले ही ग्यारह पंचवर्षीय योजना अवधि पूरी कर चुका है और बारहवीं योजना प्रगति पर है। प्रत्येक योजना के बाद उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण करते हुए समीक्षा की जाती है।
- इसके मुताबिक अगली योजना में चीजों को सुधारा जाता है. आज भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और मान्यता प्राप्त है हर जगह भविष्य की आर्थिक शक्ति के रूप में। भारत की प्रति व्यक्ति आय पहले की तुलना में अधिक दर से बढ़ रही है। भारत को विभिन्न उत्पादों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है। ये सब भारत में योजना के कारण संभव हो पाया है।

एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र

एक **क्षेत्र** अर्थव्यवस्था के कुछ सामान्य क्षेत्रों में से एक है जिसके अंतर्गत कंपनियों के एक बड़े समूह को **वर्गीकृत किया जा सकता है**। एक अर्थव्यवस्था को लगभग एक दर्जन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो उस अर्थव्यवस्था में लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियों का वर्णन कर सकता है।

आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र

मोटे तौर पर, एक अर्थव्यवस्था में चार मुख्य क्षेत्र हैं:

1. **प्राइमरी सेक्टर**
    - यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और कटाई से संबंधित है।

- ये **नवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं** , जैसे मछली, ऊन और पवन ऊर्जा। या यह **गैर-नवीकरणीय संसाधनों** का उपयोग हो सकता है , जैसे तेल निष्कर्षण, और कोयले के लिए खनन।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, प्राथमिक क्षेत्र कृषि और खनन में कार्यरत कई लोगों के साथ एक बड़ा हिस्सा लेते हैं ।
- हालाँकि, बेहतर प्रौद्योगिकी और राष्ट्र की वृद्धि के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

2. **द्वितीयक क्षेत्र**
   - यह क्षेत्र तैयार माल बनाता और वितरित करता है, और इसमें शामिल हो सकते हैं:
     - विनिर्माण - उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम से कारों का उत्पादन ।
     - निर्माण - घरों, कारखानों का निर्माण
     - उपयोगिताएँ - घरों में बिजली, गैस और टेलीफोन जैसे सामान उपलब्ध कराना
   - मूल रूप से, इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो कच्चे माल से तैयार माल के उत्पादन से संबंधित हैं।

3. **तृतीय श्रेणी का उद्योग**
   - यह सेवा क्षेत्र है, जो उपभोक्ताओं और व्यवसाय को सेवाएँ प्रदान करने के अमूर्त पहलू से संबंधित है।
   - खुदरा विक्रेता, मनोरंजन और वित्तीय कंपनियाँ इस क्षेत्र को बनाती हैं।

4. **चतुर्धातुक/ज्ञान क्षेत्र**
   - यह क्षेत्र अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), व्यवसाय, परामर्श सेवाओं और शिक्षा सहित ज्ञान या बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित है।
   - यह वह प्रक्रिया है जो उद्यमियों को बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं का आविष्कार करने और अर्थव्यवस्था में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है।
   - प्रौद्योगिकी और सूचना के इस विकास के बिना, आर्थिक विकास धीमा या अस्तित्वहीन होगा।

5. **क्विनरी सेक्टर**
   - यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जहां **शीर्ष स्तर के फैसले** लिये जाते हैं।
   - इसमें वह सरकार भी शामिल है जो कानून पारित करती है।
   - इसमें उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा क्षेत्र के शीर्ष निर्णयकर्ता भी शामिल हैं।

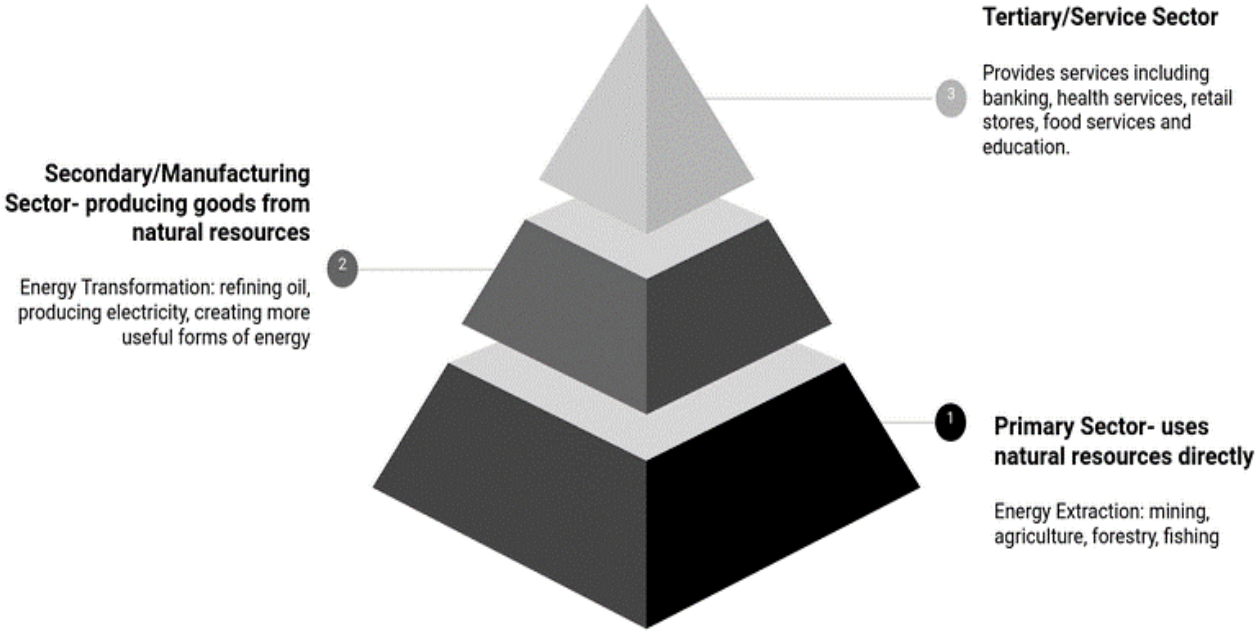

क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन

- आम तौर पर, कई, अब विकसित, देशों के इतिहास से यह देखा गया है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में, **प्राथमिक क्षेत्र** आर्थिक गतिविधि का **सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र** था।
- लंबे समय (सौ वर्षों से अधिक) में, और विशेष रूप से विनिर्माण के नए तरीके पेश किए जाने के कारण, कारखाने सामने आए और विस्तार करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले खेतों पर काम करते थे वे अब बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने लगे।
    - परिणामस्वरूप, **द्वितीयक क्षेत्र** धीरे-धीरे कुल उत्पादन और रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण बन गया।
- पिछले 100 वर्षों में, विकसित देशों में माध्यमिक से **तृतीयक क्षेत्र की ओर एक और बदलाव आया है।** कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विकसित देशों में देखा जाने वाला सामान्य पैटर्न है।

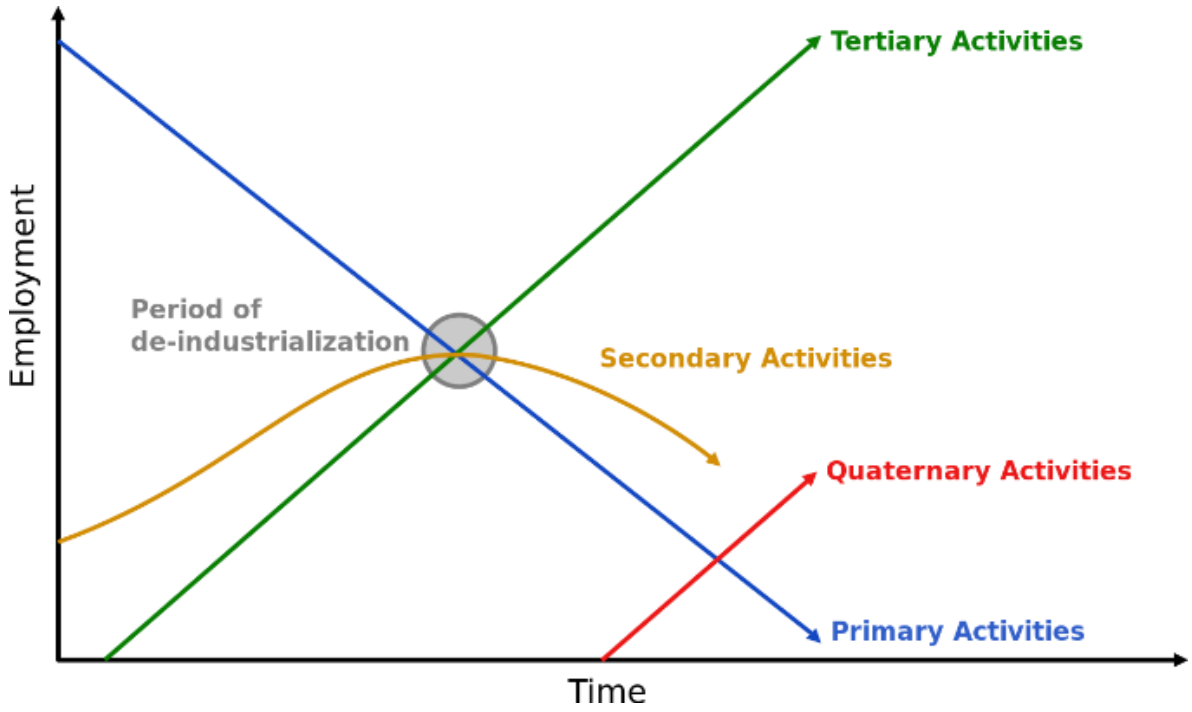

भारत में क्षेत्रवार योगदान

- भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 21.82 प्रतिशत, 24.29 प्रतिशत और 53.89 प्रतिशत अनुमानित की गई है ।
- सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
    - यह भारत के कुल GVA का 53.89% है।
- गौरतलब है कि, भारतीय अर्थव्यवस्था में **कृषि क्षेत्र का योगदान विश्व के औसत (6.4%)** से **कहीं अधिक है।**
- इसके अलावा, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान है **विश्व के औसत से कम** - उद्योग क्षेत्र के लिए 30% और सेवा क्षेत्र के लिए 63%।

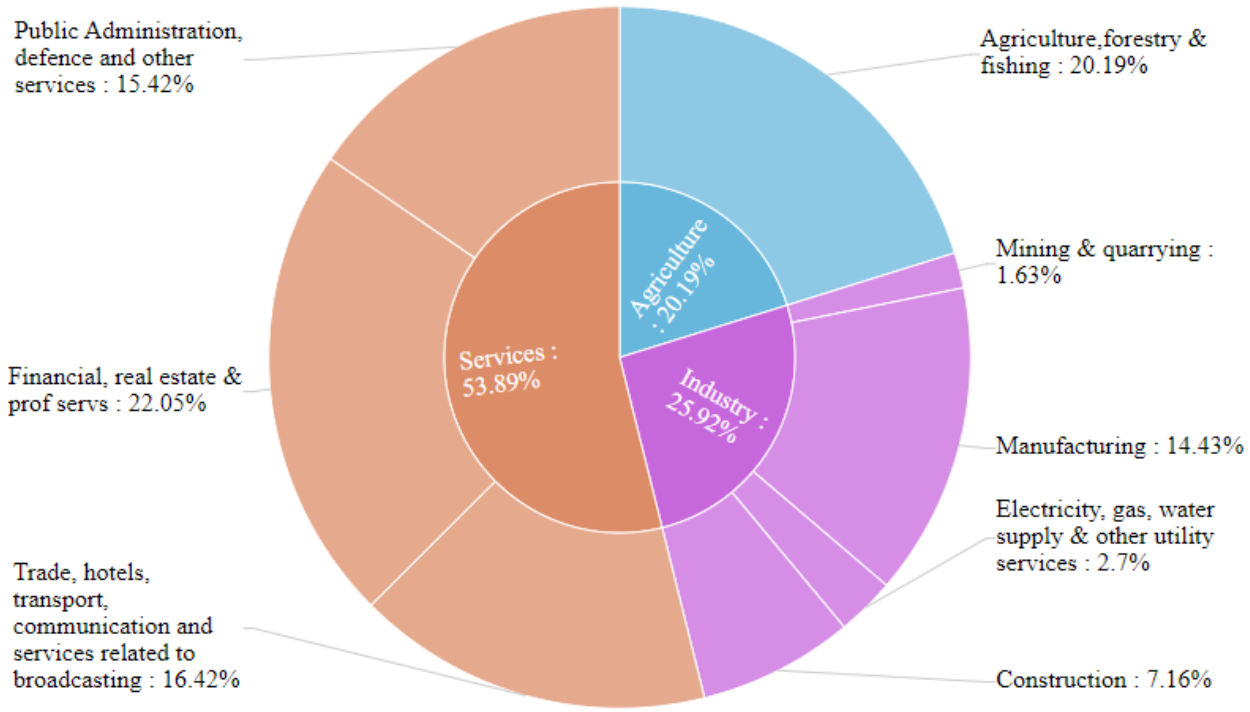

-

स्वामित्व की दृष्टि से क्षेत्र

1. **सार्वजनिक क्षेत्र**
   - इसमें सरकार अधिकांश संपत्तियों की मालिक होती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है।
   - रेलवे या डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है।
   - सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है। सरकारें अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती हैं।

प्राइवेट सेक्टर

- इसमें संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होती है।
- उदाहरण: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व वाली हैं।
- निजी क्षेत्र की गतिविधियाँ **मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से निर्देशित होती हैं** ।

कार्य की स्थिति के आधार पर सेक्टर

1. **संगठित क्षेत्र**
    - इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम और सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
    - यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो सरकार के साथ पंजीकृत है और उद्यमों पर कुछ अधिनियम लागू होते हैं।
    - यह क्षेत्र रोजगार की सुरक्षा प्रदान करता है।

असंगठित क्षेत्र

- यह क्षेत्र घर-आधारित श्रमिक या स्व-रोज़गार श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिक को संदर्भित करता है।
- इसके अलावा, इसमें संगठित क्षेत्र का एक श्रमिक भी शामिल है जो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची- II में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।
- यह क्षेत्र कम आय, अस्थिर और अनियमित रोजगार और कानून या ट्रेड यूनियनों से सुरक्षा की कमी से चिह्नित है।

आर्थिक विकास बनाम आर्थिक विकास के बीच अंतर

आर्थिक विकास

आर्थिक विकास क्या है?

- **आर्थिक वृद्धि** एक समयावधि से दूसरी अवधि की तुलना में आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है।
- **नाममात्र या वास्तविक** (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) शर्तों में मापा जा सकता है ।
- परंपरागत रूप से, **कुल आर्थिक वृद्धि को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)** के संदर्भ में मापा जाता है , हालांकि कभी-कभी वैकल्पिक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है।

आर्थिक वृद्धि उत्पन्न करने के उपाय

- अर्थव्यवस्था में **भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा** में वृद्धि ।
    - नए, बेहतर और अधिक उपकरणों का मतलब है कि श्रमिक प्रति समयावधि में अधिक उत्पादन कर सकते हैं।
- आर्थिक विकास का दूसरा **तरीका तकनीकी सुधार है** ।

- बेहतर तकनीक श्रमिकों को पूंजीगत वस्तुओं के समान स्टॉक के साथ नए तरीकों से संयोजन करके अधिक उत्पादन करने की अनुमति देती है जो अधिक उत्पादक हैं।
- उदाहरण: पेट्रोलियम का आविष्कार और उपयोग प्रक्रिया में माल के परिवहन और अंतिम माल को अधिक कुशलता से वितरित करने का एक बेहतर और अधिक उत्पादक तरीका बन गया।

- आर्थिक विकास उत्पन्न करने का तीसरा तरीका **श्रम शक्ति को बढ़ाना है।**
  - बाकी सब समान, अधिक श्रमिक अधिक आर्थिक सामान और सेवाएँ उत्पन्न करते हैं।
- अंतिम विधि **मानव पूंजी में वृद्धि है।**
  - इसका मतलब है कि श्रमिक अपने शिल्प में अधिक कुशल हो जाते हैं, कौशल प्रशिक्षण, परीक्षण और त्रुटि, या बस अधिक अभ्यास के माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाते हैं। बचत, निवेश और विशेषज्ञता सबसे सुसंगत और आसानी से नियंत्रित तरीके हैं।

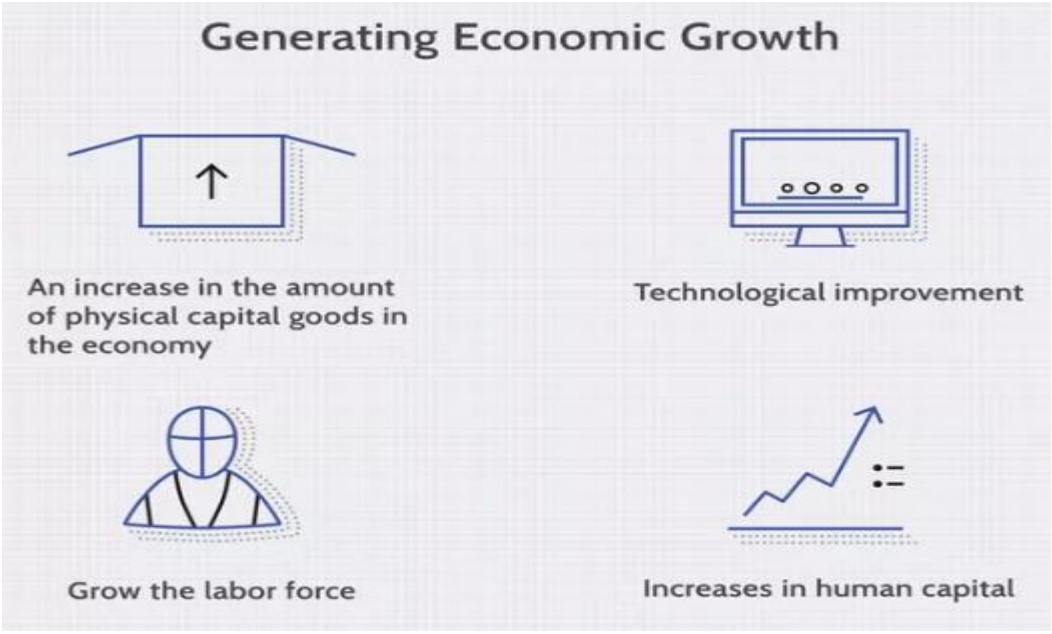

<u>आर्थिक विकास</u> आर्थिक विकास को समाज की भौतिक भलाई में **निरंतर सुधार** के रूप में परिभाषित किया गया है ।

पैरामीटर	आर्थिक विकास	आर्थिक विकास
अवधारणा	यह अर्थव्यवस्था के संकेतकों में आया सकारात्मक बदलाव है.	यह किसी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है।
कारकों	विकास सकल घरेलू उत्पाद के घटकों में से एक में क्रमिक वृद्धि से संबंधित है: उपभोग, सरकारी खर्च, निवेश, शुद्ध निर्यात.	विकास का संबंध मानव पूंजी की वृद्धि, असमानता के आंकड़ों में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से है जो जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
प्रभाव	यह किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि को संदर्भित करता है।	यह बढ़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करने और समाप्त करने को संदर्भित करता है।
केंद्र	यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर केंद्रित है।	यह संसाधनों के वितरण पर केंद्रित है।
माप	आर्थिक विकास को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जैसे मात्रात्मक कारकों द्वारा मापा जाता है।	आर्थिक विकास को मापने के लिए एचडीआई (मानव विकास सूचकांक), लिंग-संबंधी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई), शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर आदि जैसे गुणात्मक उपायों का उपयोग किया जाता है।
प्रासंगिकता	आय की वृद्धि को दर्शाता है	यह किसी देश में जीवन की गुणवत्ता में प्रगति को दर्शाता है।
निर्धारित समय - सीमा	यह अल्पकालिक/अल्पावधि के लिए है। इसे निश्चित समय सीमा/अवधि में मापा जाता है।	यह एक सतत एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास को मापने के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं होती।
इंटरैक्शन	आर्थिक विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो भी	आर्थिक विकास के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी विकासात्मक नीतियां सरकार द्वारा

	सकती है और नहीं भी	बनाई जाती हैं
अपेक्षाएं	इसे सार्वजनिक जीवन की ख़ुशी से कोई सरोकार नहीं है	इसका सरोकार सार्वजनिक जीवन की खुशहाली से है।
आवेदन	विकसित देशों में प्रगति का आकलन करने के लिए आर्थिक विकास अधिक प्रासंगिक मीट्रिक है।	विकासशील देशों में प्रगति और जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए यह अधिक प्रासंगिक है।

- आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है।
    - राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अलावा, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल हैं जो भौतिक प्रगति में योगदान करते हैं।
    - इसमें संसाधन आपूर्ति में, पूंजी निर्माण की दर में, जनसंख्या के आकार और संरचना में, प्रौद्योगिकी, कौशल और दक्षता में, संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन शामिल हैं। ये परिवर्तन अधिक न्यायसंगत आय वितरण, अधिक रोजगार और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करते हैं।
- संक्षेप में, **आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया** है जिसमें आपूर्ति के मूलभूत कारकों और मांग की संरचना में **परस्पर संबंधित परिवर्तनों की** एक लंबी श्रृंखला शामिल होती है , जिससे लंबे समय में किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है।
- कुल मिलाकर, आर्थिक विकास एक **संकीर्ण शब्द है** ।
    - इसमें मात्रात्मक दृष्टि से उत्पादन में वृद्धि शामिल है लेकिन आर्थिक विकास में उत्पादन या राष्ट्रीय आय की मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक दृष्टि से सामाजिक दृष्टिकोण और रीति-रिवाजों में बदलाव भी शामिल है।
    - लेकिन, विकास के बिना आर्थिक विकास लगभग अकल्पनीय है।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय का अर्थ उस देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित कुल आय का योग है।

राष्ट्रीय आय लेखांकन उन तरीकों और सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जिनका उपयोग सरकार द्वारा उत्पादन और आय, या दूसरे शब्दों में किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के विभिन्न उपाय जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद), जीएनपी (सकल राष्ट्रीय उत्पाद), और एनएनपी (शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) के साथ-साथ व्यक्तिगत आय और डिस्पोजेबल आय जैसे अन्य उपाय हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आय सभी नागरिकों द्वारा अर्जित सभी आय का योग नहीं है, बल्कि केवल वे आय हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी के कारण अर्जित होती हैं।

व्यक्ति अपने पास मौजूद उत्पादन के कारकों की आपूर्ति करके उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

मार्शल के अनुसार: " किसी देश का श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर काम करके हर साल सभी प्रकार की सेवाओं सहित भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक निश्चित शुद्ध समुच्चय पैदा करते हैं। यह देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। इस परिभाषा में, 'नेट' शब्द का तात्पर्य मशीनों के मूल्यह्रास और घिसाव के संबंध में सकल राष्ट्रीय आय से कटौती से है। और इसमें विदेश से होने वाली आय भी जोड़ी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आय लेखांकन समीकरण एक समीकरण है जो किसी अर्थव्यवस्था की आय और व्यय और अन्य श्रेणियों के बीच संबंध दर्शाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है:

वाई = सी + आई + जी + (एक्स - एम)

कहाँ

Y = राष्ट्रीय आय

सी = व्यक्तिगत उपभोग व्यय

मैं = निजी निवेश

जी = सरकारी खर्च

एक्स = शुद्ध निर्यात

एम = आयात

राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डिस्पोजेबल आय और व्यक्तिगत आय हैं। आइए इन अवधारणाओं के बारे में निम्नलिखित पंक्तियों में संक्षेप में और अधिक जानें।

स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था :

बुनियादी विशेषताएँ भारतीय अर्थव्यवस्था ने छह दशकों से कुछ अधिक समय का विकास अनुभव अर्जित किया है। भारत में कुछ गहरे बदलाव हुए हैं, जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है।

- बचत और निवेश की वर्तमान दर उस स्तर पर पहुंच गई है जिसे दस साल पहले भी भारत के लिए एक स्वप्न के रूप में खारिज कर दिया गया था। इस महत्वपूर्ण आयाम पर, भारत अब पूरी तरह से दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा है। चूंकि ये संकेतक विकास के सबसे मजबूत सहसंबंधों में से कुछ हैं और इनमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए ये भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए बहुत अच्छा संकेत देते हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे-जैसे भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ मिलना शुरू होगा, अगले दो दशकों में कामकाजी आयु-समूह की आबादी असंगत रूप से बढ़ेगी, बचत दर में और वृद्धि होने की संभावना है।
- वैश्विक बाज़ार में भारत के निगमों के आगमन और इनमें से कई कंपनियों द्वारा प्रदर्शित परिष्कृत कॉर्पोरेट संस्कृति के अनौपचारिक संकेतक भी मध्यम से दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था के लिए आशावादी पूर्वानुमान की ओर ले जाते हैं। मध्यम अवधि में यह उम्मीद करना उचित है कि अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर वापस लौटेगी। शुरुआत के लिए, निवेश और निजी उपभोग मांग में पुनरुद्धार हुआ है।
- भारत के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, रेलवे परिवहन, बिजली, दूरसंचार और, हाल ही में लेकिन कुछ हद तक, नागरिक उड्डयन सहित बुनियादी ढांचा सेवाओं ने उल्लेखनीय बदलाव दिखाया है। आरबीआई के व्यावसायिक अपेक्षाओं के सर्वेक्षण के अनुसार, पूंजी प्रवाह और व्यावसायिक भावनाओं में सुधार के साथ अनुकूल पूंजी बाजार स्थितियां भी उत्साहवर्धक हैं।
- अंत में, और भले ही यह बताना जल्दबाजी होगी कि क्या यह एक प्रवृत्ति है, विनिर्माण क्षेत्र में उछाल दिखाई दे रहा है जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। कॉर्पोरेट आय और लाभ मार्जिन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। पिछले लगभग आधे दशक में, भारत ने दिखाया है कि वह 1930 के दशक के बाद दुनिया की सबसे खराब आर्थिक मंदी का सामना कर सकता है। यह कुछ अलग संदर्भ में की गई टिप्पणी, "द ब्लू बिलियन राइजेज" को भी उचित रूप से सही ठहराता है।

वहाँ हैं साठ वर्षों के विकास अनुभव से सीखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण सबक:

- विकास के लिए आवश्यक वृद्धि हासिल करने के लिए वृहत-आर्थिक स्थिरता एक आवश्यक शर्त है।

- विकास नीचे नहीं गिरता ; विकास को सीधे मानवीय आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए।
- कोई भी एक नीति विकास को गति नहीं देगी - एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- संस्थाएँ मायने रखती हैं, सतत विकास उन प्रक्रियाओं में निहित होना चाहिए जो सामाजिक रूप से समावेशी हों और बदलती परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी हों।

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और अपने मजबूत लोकतंत्र और मजबूत साझेदारियों के दम पर अगले 10-15 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक बनने की उम्मीद है।

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएँ

मार्केट के खरीददार और बेचने वाले

- मौजूदा कीमतों पर भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) रु. 2020-21 के लिए वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2011 में 135.13 लाख करोड़ (यूएस $ 1.82 ट्रिलियन)।
- हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची के अनुसार, 21 से अधिक यूनिकॉर्न का सामूहिक मूल्य 73.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बेस है। नैसकॉम-ज़िन्नोव की रिपोर्ट 'इंडियन टेक स्टार्ट-अप' के अनुसार, 2025 तक भारत में ~100 यूनिकॉर्न होने की उम्मीद है और इससे ~1.1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी।
- मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत को उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए 2023 और 2030 के बीच अपनी रोजगार वृद्धि दर बढ़ाने और 90 मिलियन गैर-कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। 2023 और 2030 के बीच 8-8.5% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल करने के लिए शुद्ध रोजगार दर को 2023 से 2030 तक प्रति वर्ष 1.5% बढ़ने की आवश्यकता है।
- आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 04 जून 2021 को समाप्त सप्ताह तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 605 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

नव गतिविधि -आर्थिक परिदृश्य में सुधार के साथ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हुआ है। निजी इक्विटी - वेंचर कैपिटल (पीई-वीसी) क्षेत्र ने 2021 के पहले पांच महीनों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश दर्ज किया, 2020 की इसी अवधि की तुलना में मूल्य में 2 गुना वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के कुछ महत्वपूर्ण विकास हैं निम्नलिखित नुसार:

- अप्रैल 2021 और मई 2021 के बीच व्यापारिक निर्यात 62.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि आयात 84.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। सेवा निर्यात और आयात का अनुमानित मूल्य अप्रैल 2000 और मार्च 2021 के बीच भारत में संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 763.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 6.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई। 38% साल दर साल।
- अप्रैल 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) मार्च 2021 के 143.4 के मुकाबले 126.6 रहा।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) - संयुक्त मुद्रास्फीति मई 2021 में 5.01 थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह 1.96 थी।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - संयुक्त मुद्रास्फीति मई 2021 में 6.30 थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह 4.23 थी।
- जून 2021 में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) रुपये का निवेश करके शुद्ध खरीदार बन गए। भारतीय बाज़ारों में 12,714 करोड़ (US$ 1.71 बिलियन)। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून 2021 से 25 जून 2021 के बीच एफपीआई ने रुपये का निवेश किया। इक्विटी में 15,282 करोड़ (US$ 2.06 बिलियन)।
- अप्रैल 2021 और मई 2021 के बीच क्रमशः 35.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 19.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- मई 2021 में भारत में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) 50.8 पर रहा।
- सकल जीएसटी संग्रह रु. अप्रैल 2021 में 141,384 करोड़ (US$19.41 बिलियन)।

सरकारी पहल

- 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2020 को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। बजट का उद्देश्य अल्पकालिक संयोजन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सक्रिय करना है । मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय।
- केंद्रीय बजट 2021-22 में, वित्त वर्ष 2012 के लिए पूंजीगत व्यय 34.5% बढ़कर रु. अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2011 (बीई) में 5.5 लाख करोड़ (यूएस $ 75.81 बिलियन)।

- सरकारी व्यय में वृद्धि से निजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार सक्रिय, श्रेणीबद्ध और मापा नीति समर्थन का अनुमान है।

- मई 2021 में, सरकार ने रुपये के अनुमानित परिव्यय पर उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। 18,100 करोड़ (2.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर); इस कदम से करोड़ रुपये के घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। 45,000 करोड़ (US$ 6.07 बिलियन)।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ सफेद वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। 6,238 करोड़ (यूएस $848.96 मिलियन) और 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ' रुपये के परिव्यय के साथ। 4,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर 612.43 मिलियन)।

- जून 2021 में, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने घोषणा की कि राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) के लिए निवेश सीमा 2% और 6% पर अप्रभावित रहेगी। क्रमशः, FY22 में।

- समग्र ऑडिट गुणवत्ता, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और व्यवसायों में मूल्य जोड़ने के लिए, अप्रैल 2021 में, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, बड़े शहरी सहकारी समितियों और बड़े गैर-बैंकों और आवास वित्त फर्मों के लिए वैधानिक और केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए नए मानदंडों पर एक नोटिस जारी किया। .

- मई 2021 में, भारत सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2,250 करोड़ (US$306.80 मिलियन)।

- नवंबर 2020 में, भारत सरकार ने रुपये की घोषणा की। रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यटन, विमानन, निर्माण और आवास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को तरलता सहायता प्रदान करने के लिए 2.65 लाख करोड़ (36 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रोत्साहन पैकेज। इसके अलावा, भारत की कैबिनेट ने ~ रुपये प्रदान करने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी । देश में नौकरियाँ पैदा करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्षों में 2 ट्रिलियन (27 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के कारण कई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और औसत भारतीय उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया

पहल शुरू की, जिससे मांग बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी, जिससे निवेशकों को लाभ होगा। भारत सरकार, अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत, विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान को मौजूदा 17% से सकल घरेलू उत्पाद के 25% तक ले जाने के लक्ष्य के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, सरकार डिजिटल इंडिया पहल भी लेकर आई है, जो तीन मुख्य घटकों पर केंद्रित है: डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।

सरकार द्वारा की गई कुछ हालिया पहल और विकास नीचे सूचीबद्ध हैं:

- जून 2021 में, RBI गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास ने पॉलिसी रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की। उन्होंने रुपये सहित विभिन्न उपायों की भी घोषणा की। पर्यटन और आतिथ्य जैसे संपर्क-गहन क्षेत्रों को 15,000 करोड़ (यूएस $ 2.05 बिलियन) की तरलता सहायता।
- जून 2021 में, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा सहित जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक अनुबंध प्राप्त किया, जिसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर दर कम से कम 15 होगी। %. इस कदम से भारत को देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में फायदा होने की उम्मीद है।
- जून 2021 में, भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- मई 2021 में, भारत सरकार (भारत सरकार) और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो (182.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की दूसरी किश्त के लिए वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, जून 2021 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संगठनों , जैसे फॉक्सकॉन, सैनमिना एससीआई, फ्लेक्स, जेबिल सर्किट सहित 29 कंपनियों ने रुपये के तहत पंजीकरण कराया है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए 12,195 करोड़ (यूएस $ 1.64 बिलियन) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
- मई 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

- अप्रैल 2021 में, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों/आयातकों को किसी भी समय और कहीं भी त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए 'डीजीएफटी व्यापार सुविधा' ऐप लॉन्च किया।
- अप्रैल 2021 में, भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत और आईएफआईआईसीसी के संस्थापक संरक्षक डॉ. अहमद अब्दुल रहमान अलबन्ना ने कहा कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच त्रिपक्षीय व्यापार 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत को 2019-23 के दौरान तेल और गैस बुनियादी ढांचे के विकास में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।
- भारत सरकार 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक बढ़ाने जा रही है।
- कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी। 2019 के लिए 2.068 बिलियन (US$29.59 मिलियन), जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति की देखरेख, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना जैसे कई कार्यों को निष्पादित करके बहुआयामी भूमिका निभाता है।

आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आरबीआई के पिछले कार्य

- 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पहले, आरबीआई कई भूमिकाएँ निभा रहा था।
- वे तरलता के साथ-साथ ब्याज दरों का प्रबंधन करके विकास के लिए जिम्मेदार थे।
- उन्होंने तरलता और ब्याज दरों को समायोजित करके मुद्रास्फीति प्रबंधन में योगदान दिया।
- उन्होंने इन्हें चालू रखने के लिए सरकार की ओर से धन उधार लिया।
- उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी की निगरानी करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का भी ख्याल रखा।
- नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने बयान दिया कि अगर आरबीआई गवर्नर यूएस फेड के गवर्नर होते तो सब-प्राइम संकट नहीं होता।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

- केंद्रीय बैंक करेंसी नोट जारी और नियंत्रित करता है।
- यह मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखता है और इसे बैंकों का बैंकर कहा जाता है।
- आरबीआई देश की आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **देश की मौद्रिक नीति:** आरबीआई को अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मौद्रिक नीति ढांचा बनाने का काम सौंपा गया है।
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** आरबीआई ने मध्यावधि मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत) पर रखने का लक्ष्य रखा है।
- **बेंचमार्क ब्याज दर तय करती है:** आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बेंचमार्क रेपो दर तय करती है।
- **सरकार का बैंकर:** RBI केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह उनकी ओर से सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता और खरीदता है।
- **विदेशी मुद्रा नियामक:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ("फेमा") की परिकल्पना है कि विदेशी मुद्रा के प्रबंधन में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- केंद्रीय बैंक जनता के बीच वित्तीय जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह इस बात की भी निगरानी करता है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान वित्तीय समावेशन के संबंध में उन्हें सौंपा गया काम कर रहे हैं या नहीं।

भारत में मानव संसाधन की स्थिति

- वर्ष आयु वर्ग में है, जो लगातार बढ़ रही है और 2036 के आसपास चरम पर होगी जब यह लगभग 65% तक पहुंच जाएगी।
- ये जनसंख्या मानदंड भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की उपलब्धता का संकेत देते हैं, जो 2005-06 में शुरू हुआ और 2055-56 तक चलेगा।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2018- 19 के अनुसार , भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होगा, जब कामकाजी उम्र का हिस्सा , यानी । 20-59 वर्ष में जनसंख्या 59% तक पहुंचने की उम्मीद है।
- बढ़ती उम्र की दुनिया में भारत सबसे युवा आबादी में से एक है। 2020 तक, भारत में औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी, जबकि चीन और अमेरिका में यह 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 49 वर्ष होगी।

- 2018 के बाद से, भारत की कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64 वर्ष के बीच के लोग) आश्रित आबादी से बड़ी हो गई है - 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। कामकाजी उम्र की आबादी में यह उछाल 2055 तक, यानी इसकी शुरुआत से 37 साल तक बना रहेगा।
- स्थिर होने के बाद कुल प्रजनन दर (टीएफआर, जो प्रति महिला जन्मों की संख्या है) में कमी के कारण होता है ।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर एक अध्ययन से दो दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं।
    - खिड़की 2005-06 से 2055-56 तक पांच दशकों के लिए उपलब्ध है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लंबी है।
    - जनसंख्या मापदंडों के भिन्न व्यवहार के कारण विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर उपलब्ध है ।

जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़े लाभ

अधिक कार्यशील आयु वाली जनसंख्या और कम आश्रित जनसंख्या के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से बेहतर आर्थिक विकास हुआ। इसे निम्नलिखित तरीकों से चैनलाइज़ किया जाएगा :

- बढ़ी हुई श्रम शक्ति जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाती है।
- बच्चों पर खर्च करने से लेकर भौतिक और मानव बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधनों को मोड़ने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा बनाई गई बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाइश।
- महिला कार्यबल में वृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रजनन क्षमता में गिरावट के साथ होती है, और जो विकास का एक नया स्रोत हो सकती है।
- बचत दर में वृद्धि, क्योंकि कामकाजी उम्र भी बचत के लिए प्रमुख अवधि होती है।
- मध्यवर्गीय समाज की ओर एक व्यापक बदलाव, यानी आकांक्षी वर्ग का उदय।
- जनसांख्यिकीय लाभांश ने ऐतिहासिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समग्र विकास में 15% तक का योगदान दिया है।
- बदलती जनसंख्या संरचना के कारण जापान तेजी से विकास का अनुभव करने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।
- देश का जनसांख्यिकी-लाभांश चरण 1964 से 2004 तक चला।
- रोजगार चाहने वाली आबादी की अधिक संख्या के कारण तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हो रहा है जो उच्च आर्थिक गतिविधियों को मजबूर करेगा।

- कार्यबल में वृद्धि: 65% से अधिक कामकाजी उम्र की आबादी के साथ, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, जो आने वाले दशकों में एशिया के आधे से अधिक संभावित कार्यबल की आपूर्ति करेगा।
- जनसंख्या की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने से लोगों के लिए अधिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और बड़े लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ

- असममित जनसांख्यिकी: कार्य-आयु अनुपात में वृद्धि भारत के कुछ सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित होने की संभावना है और जनसांख्यिकीय लाभांश पूरी तरह से तभी प्राप्त होगा जब भारत इस कार्य-आयु आबादी के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होगा।
- की कमी : भविष्य में बनने वाली अधिकांश नई नौकरियाँ अत्यधिक कुशल होंगी और भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक बड़ी चुनौती है। कम मानव पूंजी आधार और कौशल की कमी के कारण भारत अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- निम्न मानव विकास पैरामीटर: यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में से 130वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है । इसलिए, भारतीय कार्यबल को कुशल और कुशल बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मानकों में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।
- भारत में अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों को प्राप्त करने में एक और बाधा है।
- बेरोजगार विकास-इस बात की चिंता बढ़ रही है कि डी-औद्योगिकीकरण, डी-वैश्वीकरण, चौथी औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति के कारण भविष्य का विकास बेरोजगार हो सकता है। एनएसएसओ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार , 15-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए भारत की श्रम बल भागीदारी दर लगभग 53% है, यानी कामकाजी उम्र की लगभग आधी आबादी बेरोजगार है।

मानव संसाधन में सुधार और मानव पूंजी के निर्माण के लिए सुझाव

- मानव पूंजी का निर्माण : स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नौकरियों और कौशल के माध्यम से लोगों में निवेश करने से मानव पूंजी के निर्माण में मदद मिलती है, जो आर्थिक विकास का समर्थन करने, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और एक अधिक समावेशी समाज बनाने की कुंजी है।
- युवा आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भारत की श्रम शक्ति को सही कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने

2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को कुशल/कुशल बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की है।

- शिक्षा: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उचित निवेश करके शैक्षिक स्तर को बढ़ाना। भारत, जिसकी लगभग 41% आबादी 20 साल से कम उम्र की है, बेहतर शिक्षा प्रणाली के साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, आधुनिक उद्योग की मांगों और शिक्षाविदों में सीखने के स्तर को सिंक्रनाइज़ करने के लिए अकादमिक-उद्योग सहयोग आवश्यक है ।
- उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
- श्रमशक्ति के लिए अधिक उत्पादक दिन सुनिश्चित होंगे , जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ेगी।
- आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) जैसी योजनाओं की सफलता जरूरी है. साथ ही एकीकृत बाल विकास (आईसीडीएस) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ महिलाओं और बच्चों में पोषण स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।
- नौकरी सृजन: कार्यबल में युवाओं को शामिल करने के लिए देश को प्रति वर्ष दस मिलियन नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है। व्यवसायों के हितों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से बड़ी श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी ।
- विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत की बेहतर रैंकिंग एक अच्छा संकेत है।
- इंडिया जैसी योजनाएं अगर ठीक से क्रियान्वित की गईं तो निकट भविष्य में वांछित परिणाम सामने आएंगे।
- शहरीकरण : आने वाले वर्षों में बड़ी युवा और कामकाजी आबादी अपने और अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे शहरी आबादी में तेजी से और बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इन प्रवासी लोगों को शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक कैसे पहुंच मिल सकती है, इस पर शहरी नीति नियोजन का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- यदि नीति निर्माता इस जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ विकासात्मक नीतियों को संरेखित करते हैं, तो भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सही पक्ष पर है जो इसके तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

- जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करके मानव पूंजी में उचित निवेश की आवश्यकता है।
- यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन अपने साथ जटिल चुनौतियाँ भी लाता है। यदि बढ़ा हुआ कार्यबल पर्याप्त रूप से कुशल, शिक्षित और लाभकारी रोजगार प्रदान नहीं किया गया है, तो इसके बजाय हमें जनसांख्यिकीय आपदा का सामना करना पड़ेगा।
- जापान और कोरिया जैसे देशों के वैश्विक दृष्टिकोण से सीखकर और घरेलू जटिलताओं पर विचार करते हुए समाधान तैयार करके, हम जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकेंगे।

भारत में प्राकृतिक संसाधन की स्थिति

- भारत को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे उपजाऊ मिट्टी, जंगल, खनिज और पानी का उपहार दिया गया है। ये संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। भारतीय महाद्वीप में बहुत सारे जैविक और अजैविक संसाधन शामिल हैं।
- चूंकि भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसलिए संसाधनों की अत्यधिक खपत हो रही है, जैसे अनियंत्रित कटाई या अत्यधिक मछली पकड़ना और कई मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं।
- भारत में विशाल जलयुक्त उपजाऊ भूमि है। सतलज-गंगा के मैदानों और ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी महान मैदानों की तलछटी मिट्टी में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, जूट, कपास, रेपसीड, सरसों, तिल, अलसी प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं। भारत के भूमि क्षेत्र में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर शुष्क रेगिस्तान, तट रेखा से लेकर अल्पाइन क्षेत्र तक शामिल हैं।
- भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी हैं क्योंकि देश की राहत और जलवायु विविध है। ये वन पठारों और पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। भारत में वन्य जीवों की विशाल विविधता है।
- यहां कई राष्ट्रीय उद्यान और सैकड़ों वन्य जीवन अभयारण्य हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 24.5 प्रतिशत में वन शामिल हैं (IFSR 2019), क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ बार-बार बदल रही हैं और ऊंचाई में अंतर है, भारत में उष्णकटिबंधीय, दलदल, मैंग्रोव और अल्पाइन सहित विभिन्न प्रकार के वन मौजूद हैं।
- वन वनस्पति की विविधता बड़ी है। जंगल जलाऊ लकड़ी, कागज, मसाले, औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ, गोंद और बहुत कुछ का मुख्य स्रोत हैं। देश की जीडीपी में वनों का बहुत बड़ा योगदान है।
- भारत में समुद्री और अंतर्देशीय जल संसाधन अधिक हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत की तटरेखा 8129 किमी लंबी है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन नदियों, जलाशयों और झीलों में किया जाता है। ईआईए अनुमान की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारतीय नदियों में मछलियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कई प्रजातियाँ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इंडियन ऑयल भंडार

- 2016 तक भारत के पास **4,728,790,000 बैरल** प्रमाणित तेल भंडार है, जो दुनिया में 24वें स्थान पर है और दुनिया के 1,650,585,140,000 बैरल के कुल तेल भंडार का लगभग 0.3% है। भारत के पास उसकी वार्षिक खपत के 2.9 गुना के बराबर भंडार है।
- तेल **और गैस उद्योग की** शुरुआत 1889 में हुई जब देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग की शुरुआत 1960 के दशक में असम और महाराष्ट्र (बॉम्बे हाई) में गैस क्षेत्रों की खोज के साथ हुई। 31 मार्च 2018 तक, भारत ने 594.49 मिलियन टन (MT) के कच्चे तेल भंडार और 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) के प्राकृतिक गैस भंडार का अनुमान लगाया था।
- ईंधन के साथ प्रतिस्थापित करके 2022 तक इसे 67% तक लाने का लक्ष्य है। भारत 205.3 का दूसरा शीर्ष शुद्ध कच्चे तेल (कच्चे तेल उत्पादों सहित) आयातक था। 2019 में माउंट।
- 30,491.हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) कच्चा तेल और 28670.6 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) प्राकृतिक निकाला। गैस.
- भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से मुंबई हाई कॉम्प्लेक्स से आता है। असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में तटवर्ती क्षेत्र भी प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं
- **भारत में खनिज संसाधन** भी बड़ी मात्रा में हैं जैसे लोहा, कोयला, खनिज तेल, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, टंगस्टन, जिप्सम, चूना पत्थर, अभ्रक। पशुधन संसाधन का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि पहाड़ियों, पहाड़ों और कम उपजाऊ भूमि को चारागाह के अंतर्गत रखा जाता है।
- पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का पालन किया जाता है। भारत समृद्ध घरेलू पशु विविधता बनाए रखता है। भारत में बकरी, भेड़, मुर्गी, गाय और भैंस जैसे जानवर बड़ी संख्या में हैं। ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में भारतीय पशुधन की अनिवार्य भूमिका है।
- बागवानी के क्षेत्र में, भारत में विभिन्न कृषि -जलवायु स्थितियां हैं जो बड़ी संख्या में बागवानी फसलों जैसे सब्जियां, फल, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम इत्यादि और चाय, कॉफी और रबर जैसी वृक्षारोपण फसलों की खेती की सुविधा प्रदान करती हैं।
- भारत के विभिन्न हिस्सों में गैर-नवीकरणीय संसाधन भी प्रचुर मात्रा में हैं: कोयला भारत में मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है और अग्रणी स्थान रखता है।
- भारत में कोयला मुख्यतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय, जम्मू और कश्मीर से प्राप्त किया जाता है।

- भारत में **प्राकृतिक गैस त्रिपुरा राज्य, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र और पेट्रोलियम उत्पादों में गैस सहयोगियों के रूप में उपलब्ध है।** पेट्रोलियम उत्पाद भारत में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
- भारत में, पेट्रोलियम उत्पाद डिग्बोल , असम, गुजरात में खंबात की खाड़ी के आसपास , अरब सागर में तट से दूर, मुंबई से 100 मील तक फैले हुए हैं।
- विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। औसतन, भारत विश्व उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत उत्पादन करता है। इसमें विश्व का लगभग 2.6 प्रतिशत लौह अयस्क भंडार है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ चुनौतियाँ

- **प्रति व्यक्ति आय कम**
  - आमतौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,560 डॉलर थी। उसी वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) भारत की तुलना में 35 गुना थी और चीन की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) भारत से 5 गुना अधिक थी।
  - इसके अलावा, कम प्रति व्यक्ति आय के अलावा, भारत में आय के असमान वितरण की भी समस्या है। इससे गरीबी की समस्या विकट और देश की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए, कम प्रति व्यक्ति आय भारत में प्राथमिक आर्थिक मुद्दों में से एक है,

कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता

  - एक अन्य पहलू जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है वह है देश में व्यवसायों का वितरण। भारतीय कृषि क्षेत्र देश की तेजी से बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने में कामयाब रहा है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, 2014 में, भारत में लगभग 47 प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई थी। दुर्भाग्य से, इसने राष्ट्रीय आय में केवल 17 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता है। उद्योगों का विस्तार भी पर्याप्त जनशक्ति को आकर्षित करने में विफल रहा।

जनसंख्या का भारी दबाव

  - एक अन्य कारक जो भारत में आर्थिक मुद्दों में योगदान देता है वह जनसंख्या है। आज, भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, पहले स्थान पर चीन है।

- हमारे यहां जन्म दर का स्तर ऊंचा है और मृत्यु दर का गिरता स्तर है। बढ़ती जनसंख्या को बनाए रखने के लिए, प्रशासन को भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा, स्कूली शिक्षा आदि की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। इसलिए, देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

दीर्घकालिक बेरोजगारी और अल्प-रोज़गार का अस्तित्व

- विशाल बेरोजगार कामकाजी आबादी एक और पहलू है जो भारत में आर्थिक मुद्दों में योगदान देती है। हमारे देश में श्रमिकों की प्रचुरता है जिससे पूरी आबादी को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।
- इसके अलावा, पूंजी की कमी के कारण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अपर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने भारत में दीर्घकालिक बेरोजगारी और अल्प-रोजगार में योगदान दिया है।
- लगभग आधी कामकाजी आबादी कृषि में लगी होने के कारण, खेतिहर मजदूर का सीमांत उत्पाद नगण्य हो गया है। शिक्षित-बेरोजगारों की बढ़ती संख्या की समस्या ने देश की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं।

पूंजी निर्माण की दर में धीमा सुधार

- भारत में सदैव पूंजी की कमी रही। हालाँकि, हाल के वर्षों में, भारत ने पूंजी निर्माण में धीमी लेकिन स्थिर सुधार का अनुभव किया है। हमने 2000-05 के दौरान 1.6 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया और बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए लगभग 6.4 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता थी।
- इसलिए, भारत को मूल्यह्रास की भरपाई करने और जीवन स्तर को समान बनाए रखने के लिए लगभग 14 प्रतिशत के सकल पूंजी निर्माण की आवश्यकता है। जीवन स्तर में सुधार का एकमात्र तरीका सकल पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना है।

धन वितरण में असमानता

- ऑक्सफैम की 'एन इकोनॉमी फॉर द 99 प्रतिशत' रिपोर्ट, 2017 के अनुसार, दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। दुनिया में आठ लोगों के पास उतनी ही संपत्ति है, जितनी मानवता के सबसे गरीब आधे हिस्से के 3.6 अरब लोगों के पास है।
- भारत में महज 1 फीसदी आबादी के पास कुल भारतीय संपत्ति का 58 फीसदी हिस्सा है. इसके अलावा, 57 अरबपतियों के पास भारत के निचले 70 प्रतिशत लोगों के बराबर संपत्ति है। धन का असमान वितरण निश्चित रूप से भारत में प्रमुख आर्थिक मुद्दों में से एक है।

मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता

- शब्द के व्यापक अर्थ में, पूंजी निर्माण में किसी भी संसाधन का उपयोग शामिल होता है जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है।
- इसलिए, जनसंख्या का ज्ञान और प्रशिक्षण पूंजी का एक रूप है। इसलिए, शिक्षा, कौशल-प्रशिक्षण, अनुसंधान और स्वास्थ्य में सुधार पर व्यय मानव पूंजी का हिस्सा है।
- आपको एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के आधार पर देशों को रैंक करता है। यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। इस सूचकांक में भारत 2014 में 188 देशों में से 130वें स्थान पर था।

प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर

- हर दिन नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। हालाँकि, वे महंगे हैं और उन्हें उत्पादन में लागू करने के लिए काफी कौशल वाले लोगों की आवश्यकता होती है।
- किसी भी नई तकनीक के लिए पूंजी और प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, मानव पूंजी की कमी और कुशल श्रम की अनुपस्थिति अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के प्रसार में बड़ी बाधाएं हैं।
- एक और पहलू जो भारत में आर्थिक मुद्दों को जोड़ता है वह यह है कि गरीब किसान उन्नत बीज, उर्वरक और ट्रैक्टर, निवेशक आदि जैसी आवश्यक चीजें भी नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा, भारत में अधिकांश उद्यम सूक्ष्म या लघु हैं। इसलिए, वे आधुनिक और अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकियों का खर्च वहन नहीं कर सकते।

बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव

- जनगणना के अनुसार , भारत की लगभग 7 प्रतिशत आबादी ग्रामीण और झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। इसके अलावा, भारत में केवल 46.6 प्रतिशत घरों को अपने परिसर में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, केवल 46.9 प्रतिशत परिवारों के पास घरेलू परिसर में शौचालय की सुविधा है।
- इससे भारतीय श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाती है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल और प्रभावी वितरण के लिए समर्पित और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना कि भारत जैसे देश में ऐसे पेशेवर उपलब्ध हों, एक बड़ी चुनौती है।

जनसांख्यिकीय विशेषताएं -2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि विश्व का जनसंख्या घनत्व 41 प्रति वर्ग किलोमीटर था।

- इसके अलावा, 29.5 प्रतिशत 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में थे, 62.5 प्रतिशत 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में थे, और लगभग 8 प्रतिशत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में थे। इससे सिद्ध होता है कि हमारी जनसंख्या पर निर्भरता का बोझ बहुत अधिक है।

प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग

- भारत भूमि, जल, खनिज और बिजली संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हालाँकि, दुर्गम क्षेत्रों, आदिम प्रौद्योगिकियों और पूंजी की कमी जैसी समस्याओं के कारण, इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जाता है। यह भारत में आर्थिक मुद्दों में योगदान देता है।

बुनियादी ढांचे की कमी

- बुनियादी सुविधाओं की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक गंभीर समस्या है। इनमें परिवहन, संचार, बिजली उत्पादन और वितरण, बैंकिंग और ऋण सुविधाएं, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान आदि शामिल हैं। इसलिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों की क्षमता का उपयोग कम रहता है।

राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

- चुनाव पूर्व वर्ष में लोकलुभावनवाद: उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण माफी।
- तेल की बढ़ती कीमतें: कच्चे तेल बैरल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी से एफडी में 0.2-0.3% की बढ़ोतरी हो सकती है
- ख़रीफ़ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी : ख़रीफ़ फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी का सरकार का निर्णय मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाने के अलावा सकल घरेलू उत्पाद पर 0.1-0.2% तक प्रभाव डाल सकता है।
- उम्मीद से कम जीएसटी राजस्व: जबकि सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आदर्श जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.1 लाख करोड़ है, वित्त वर्ष 2019 में औसत संग्रह केवल 0.97 लाख करोड़ था।
- आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा: कई अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इस्तीफा मुख्य रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान, बैंकिंग धोखाधड़ी, आरबीआई अधिशेष हस्तांतरण, स्वतंत्रता को कमजोर करने जैसे विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मतभेद के कारण था। आरबीआई का.
- के ख़िलाफ़ हवा : आर्थिक सर्वेक्षण 20172018 बताता है कि निर्यात और आयात मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 42% है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया की

बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। इस आलोक में, अमेरिका द्वारा शुरू किए गए बहुचर्चित टैरिफ युद्ध से हमारे निर्यात पर काफी असर पड़ने का खतरा है।

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए): वित्त पर स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से पहले बैंकिंग प्रणाली में खराब ऋणों की जांच में पूर्व-खाली कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर सवाल उठाया था। AQR) दिसंबर 2015 में शुरू किया गया।
- कृषि संकट: कृषि , जो भारत में कार्यरत लगभग 52% लोगों को रोजगार देती है, गहरे संकट में बनी हुई है, जैसा कि नासिक से मुंबई तक किसानों के लंबे मार्च और नवंबर में नई दिल्ली में उनके आंदोलन में परिलक्षित होता है।
- उच्च बॉन्ड यील्ड और अधिक जोखिम: भारत के बेंचमार्क दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7.6%-7.8% विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में साथियों की तुलना में अधिक बनी हुई है और आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों को दर्शाते हुए बढ़ती प्रवृत्ति पर है।
- दोहरी बैलेंस शीट समस्या : जबकि एयरटेल और टाटा जैसी कुछ भारतीय कंपनियां वैश्विक दिग्गजों में बदल गई हैं, जेपी इंफ्रा और लैंको जैसी कंपनियां ट्विन बैलेंस शीट समस्या (बैंकों की तनावपूर्ण बैलेंस शीट और अधिक लाभ वाले कॉरपोरेट्स) के कारण बिजली अस्तित्व संकट का सामना कर रही है।
- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन।
- कर बचाव को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ भारत के दोहरे कराधान बचाव समझौतों में बदलाव ।

2022 तक नया भारत प्राप्त करने के लिए समग्र समाधान

कर कटौती और कर छूट

कर कटौती और कर छूट उपभोक्ताओं की जेब में अधिक पैसा वापस डालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। आदर्श रूप से, ये उपभोक्ता उस पैसे का एक हिस्सा विभिन्न व्यवसायों पर खर्च करते हैं, जिससे व्यवसायों के राजस्व, नकदी प्रवाह और मुनाफे में वृद्धि होती है। अधिक नकदी होने का मतलब है कि कंपनियों के पास पूंजी हासिल करने, प्रौद्योगिकी में सुधार करने, बढ़ने और विस्तार करने के लिए संसाधन हैं। इन सभी कार्यों से उत्पादकता बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कर कटौती और छूट, समर्थकों का तर्क है, उपभोक्ताओं को अर्थव्यवस्था को और अधिक धन देकर प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, सरकार ने पिछले साल सितंबर में निगम कर दरों में कटौती की घोषणा की थी। इसने घरेलू निर्माताओं के लिए कॉर्पोरेट कर दरों को **30% से घटाकर 22% कर दिया** , जबकि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए; दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई, बशर्ते वे किसी छूट का दावा न करें, यह नीति अगले दस वर्षों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

विनियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना

अविनियमन किसी उद्योग या व्यवसाय पर लगाए गए नियमों और विनियमों में ढील देना है। यह 1991 में भारत में अर्थशास्त्र का एक केंद्र बिंदु बन गया , जब केंद्र सरकार ने कई उद्योगों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों, उद्योगों और विदेशी निवेशों को नियंत्रणमुक्त कर दिया, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आई, इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग करना बुनियादी ढांचे पर खर्च तब होता है जब एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकार समग्र रूप से वाणिज्य और समाज के विकास के लिए आवश्यक भौतिक संरचनाओं और सुविधाओं के निर्माण या मरम्मत के लिए पैसा खर्च करती है । बुनियादी ढांचे में सड़कें, पुल, बंदरगाह और सीवर सिस्टम शामिल हैं। आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के पक्षधर अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा होने से व्यवसायों को यथासंभव कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम होकर उत्पादकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब सड़कें और पुल प्रचुर मात्रा में होते हैं और कार्यशील स्थिति में होते हैं, तो ट्रक यातायात में कम समय बिताते हैं, और उन्हें जलमार्गों को पार करने के लिए घुमावदार मार्गों का सहारा नहीं लेना पड़ता है।

- इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे पर खर्च से नौकरियां पैदा होती हैं क्योंकि हरी-भरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए श्रमिकों को काम पर रखा जाना चाहिए। यह नई आर्थिक वृद्धि को जन्म देने में भी सक्षम है। उदाहरण के लिए, एक नए राजमार्ग के निर्माण से मोटर चालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैस स्टेशन और खुदरा स्टोर खोलने जैसे अन्य निवेश हो सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों के उपरोक्त विश्लेषण का उपयोग करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जहाँ भारत में बड़ी आर्थिक संभावनाएँ हैं, वहीं कई चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। हम पहले ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कुछ सूक्ष्म-स्तरीय समाधानों को देख चुके हैं। अब, हम कुछ व्यापक उपायों पर नज़र डालेंगे जो हमारे देश को "प्रमुख आर्थिक महाशक्ति" बना सकते हैं।

- विकास:
    - निवेश दरों को सकल घरेलू उत्पाद का 36% तक बढ़ाएं
    - टैक्स-जीडीपी अनुपात को जीडीपी के 22% तक बढ़ाएं
    - व्यापार को आसान बनाने और भूमि एवं श्रम नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्यों के साथ काम करें
- रोजगार और श्रम सुधार:

- रोजगार सृजन के लिए आवश्यक शर्त आर्थिक विकास है।
- केंद्रीय श्रम कानूनों को पूरी तरह से संहिताबद्ध करें और महिला श्रम बल की भागीदारी को 30% तक बढ़ाएं
- स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल परिणामों में सुधार और प्रशिक्षुता योजना के बड़े पैमाने पर विस्तार से श्रम की रोजगार क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:
- विज्ञान के प्रबंधन को समग्र रूप से संचालित करने के लिए एक सशक्त निकाय की स्थापना करें
- एक नॉन-लैप्सेबल डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड बनाएं
- उद्योग:
- एमएसएमई के लिए प्लग एंड प्ले पार्क के साथ विनिर्माण क्षमता के आत्मनिर्भर क्लस्टर विकसित करें
- श्रम प्रधान निर्यात फर्मों को प्रोत्साहन
- उद्योग को उद्योग 4.0 अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू करें
- राज्यों में निवेशक और सरकार के बीच संपर्क का एक बिंदु प्रदान करने वाली "एकल खिड़की" शुरू करें
- किसानों की आय दोगुनी करना:
- प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करें, उत्पादकता और कृषि प्रसंस्करण में वृद्धि करें और फसलों में विविधता लाएं
- एपीएमसी को खत्म करें - मॉडल एपीएलएम एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट और मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को अपनाएं
- आधुनिक ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला प्रणाली बनाएँ
- उत्पादन को प्रसंस्करण से जोड़ें, ग्राम स्तर पर खरीद केंद्र स्थापित करें
- ऊर्जा:
- इनपुट टैक्स क्रेडिट को सक्षम करने के लिए तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयले को जीएसटी के तहत लाएं
- स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देना
- बंदरगाह, नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग:
- तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा परिवहन किए गए माल का हिस्सा दोगुना
- सागरमाला परियोजना को पूरा करें . भारत के ड्रेजिंग बाजार को खोलें
- रसद:
- परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने के लिए एक आईटी सक्षम मंच विकसित करें
    - टैरिफ को तर्कसंगत बनाना और विभिन्न तरीकों से कुशल तरीके से कीमतें निर्धारित करना
    - एक व्यापक निकाय बनाएं जो सभी परिवहन डेटा का भंडार बनाए रखे।

तर्कसंगत जीएसटी :

- केलकर समिति के सुझाव के अनुसार जीएसटी स्लैब और दरों का युक्तिकरण
    - पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था में शामिल करना
    - कुछ आयातित उत्पादों के लिए जीएसटी के तहत इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मुद्दे को संबोधित करना
    - सभी रियल एस्टेट लेनदेन को जीएसटी व्यवस्था में शामिल करना
    - निर्यातक के लिए जीएसटी रिफंड की तेज़ प्रोसेसिंग।

एनपीए समस्या का समाधान:

- मुद्रा ऋण: रघुराम राजन मुद्रा ऋण देते समय ऋण आवेदनों की बारीकी से जांच करने का सुझाव देते हैं।
- एनपीए समाधान के दोहरे उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) दिशानिर्देशों को संतुलित तरीके से फिर से तैयार करने की आवश्यकता है ।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 एक केंद्रीकृत सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनर्वास एजेंसी (पीएआरए) की स्थापना का सुझाव देता है जो सबसे बड़े, सबसे कठिन मामलों का प्रभार ले सकती है, और एनपीए को कम करने के लिए राजनीतिक रूप से कठिन निर्णय ले सकती है।
- यदि हमें भविष्य में एनपीए के विस्फोट को रोकना है तो चौथा आर, जो सुधार है (डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा सुझाई गई एनपीए समाधान के लिए 4आर रणनीति का) को प्रमुख महत्व दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- भारत को महत्वपूर्ण आंतरिक सुधार करने की आवश्यकता है जो इसे एक उत्पादक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने और नेतृत्व की भूमिका निभाने की अनुमति देगा जिसकी दुनिया भर में बहुत से लोग उम्मीद करते हैं।
- केंद्रों या पीएमसी पर अधिक जोर देने के साथ स्वास्थ्य प्रणाली का पुनर्गठन
- बहुसंख्यक लोगों के जीवन में किसी भी सुधार के लिए विकास प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी ताकि यह कम नुकसानदेह हो।
- इसके लिए संभवतः यह आवश्यक होगा कि हमारी वृद्धि धीमी हो, लेकिन इस प्रक्रिया को गरीब समूहों की ओर अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- भारत दोहरे अंक की वृद्धि की आकांक्षा कर सकता है और होनी भी चाहिए। सभी स्तरों पर निरंतर विकास के बिना, हर महीने इसके कार्यबल में शामिल होने वाले लगभग दस लाख युवाओं को रोजगार देने की उम्मीद बहुत कम है।

- और जब तक यह अपनी वर्तमान, अनुकूल जनसांख्यिकी का लाभ नहीं उठाता, तब तक इसके समृद्ध और संपन्न मध्यम वर्ग के साथ एक उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना नहीं है।

भारत में योजना का ऐतिहासिक विकास

- भारत में योजना के महत्व को आजादी से पहले ही पहचान लिया गया था। कुछ व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा योजना निर्माण में किए गए प्रयासों पर विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों को प्रभाव में लाया गया। **सामाजिक आर्थिक योजना** बीसवीं सदी के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक रहा है। आजादी से पहले भी देश नियोजित विकास के महत्व के प्रति सचेत था। दादाभाई नौरोजी (1825-1917), एमसी रानाडे, (1842-1901), आरजी दत्त (1848-1909) जैसे प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों ने भारतीयों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विस्तार से लिखा। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की लंबी अवधि के दौरान, बड़े पैमाने पर गरीबी की समस्याओं, किसानों और कारीगरों की सुरक्षा, औद्योगीकरण की आवश्यकता और, सामाजिक और आर्थिक जीवन के पूरे ढांचे के पुनर्निर्माण की चिंता की गई। लगभग सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इन मूलभूत समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिक रूप से देखा। महात्मा गांधी के लिए स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं थी बल्कि जनता को गरीबी और जड़ता से राहत दिलाने के लिए एक पूर्व शर्त थी। स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य उन्नीस तीस के दशक के दौरान सटीक रूप से परिभाषित किये जाने लगे।

- 1928 में सोवियत प्रयोग से शुरू होकर, योजना धीरे-धीरे पूरी दुनिया के लगभग दो तिहाई हिस्से पर हावी हो गई। 1930 के दशक के दौरान पूरी दुनिया महान मंदी से प्रभावित थी, केवल यूएसएसआर इस महान मंदी के प्रभाव से मुक्त था। यह उनकी योजना ही थी जिसके बाद पूरी दुनिया यूएसएसआर की योजना के कारण उसकी ओर आकर्षित हुई। बाद में 1929 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों में गरीबी को दूर करने और जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए समाज की वर्तमान आर्थिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव और बड़ी असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। पहला व्यवस्थित कार्य वर्ष 1934 में अस्तित्व में आया जब प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता एम. विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक "प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया" में देश के आर्थिक विकास के लिए दस साल की योजना तैयार की। दूसरी ओर भारत सरकार अधिनियम - 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की जिसके कारण आठ प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। अगस्त 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें तत्काल और महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए अंतर प्रांतीय विशेषज्ञों की समिति का सुझाव दिया गया, जिनका समाधान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक योजना की किसी भी योजना के लिए आवश्यक है।

-

- **राष्ट्रीय योजना समिति (1938)**
- भारत में योजना की शुरुआत सबसे पहले 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बाद में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद पंद्रह सदस्यों वाली राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, एक ज्ञापन में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता उन सभी कदमों को उठाने के लिए एक अनिवार्य प्राथमिक शर्त है जो योजना को उसके सभी विभिन्न पहलुओं में पूरा करने के लिए आवश्यक पाए जा सकते हैं। पहलू। स्वतंत्रता से नौ साल पहले, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के महत्व को उजागर किया और साथ ही अन्यत्र राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से नियोजित विकास के अनुभव से लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय योजना समिति ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कई उप समितियाँ नियुक्त कीं। यह भारत के लोगों की ओर से मूलभूत आर्थिक समस्याओं की जांच करने और लोगों के उत्थान के लिए समन्वय योजना तैयार करने का पहला प्रयास था।

- **बॉम्बे प्लान (1944)**
- 1944 की शुरुआत में, बॉम्बे के कई प्रतिष्ठित उद्योगपति और अर्थशास्त्री सर पुरूषोत्तमदास ठाकुरदास , श्री जेआरडी टाटा और छह अन्य लोगों ने एक और प्रयास किया और एक विकास योजना प्रकाशित की, जिसे बॉम्बे योजना कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सोच को प्रोत्साहित करना और उन सिद्धांतों को निर्धारित करना था जिनके आधार पर एक राष्ट्रीय योजना तैयार और क्रियान्वित की जा सके। योजनाकारों ने देखा कि इसमें निर्धारित योजना किसी भी दृष्टि से न तो पूर्ण योजना है और न ही राष्ट्रीय योजना समिति जितनी व्यापक है। योजना का केंद्रीय उद्देश्य राष्ट्रीय आय को इस स्तर तक बढ़ाना था कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हमारे पास जीवन के आनंद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन बचे रहें। इस प्रकार इसका उद्देश्य 15 वर्षों की अवधि में देश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसने कृषि और उद्योग में क्रमशः लगभग 130 प्रतिशत और 500 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। कुल परिव्यय रु. 10,000 करोड़ की सिफारिश की गई थी . योजनाकारों का मानना था कि कृषि की अत्यधिक प्रधानता को कम करके और एक संतुलित अर्थव्यवस्था स्थापित करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना आर्थिक नियोजन की वह व्यवस्थित योजना थी जिसने देश को योजनाबद्ध बनाया। इसकी प्रमुख कमी पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखना और कृषि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करना था।

- **पीपुल्स प्लान (1945)**
- स्वर्गीय एमएन रॉय द्वारा एक और योजना (दस वर्षीय योजना) तैयार की गई थी जिसे 'पीपल प्लान' कहा जाता था। यह कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में बॉम्बे योजना से भिन्न थी। इसका मुख्य जोर

सामूहिकीकरण और राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगीकरण की स्थापना के माध्यम से कृषि और उपभोक्ता सामान उद्योगों पर था । कुल परिव्यय रुपये का था. 15000 करोड़. इसने भूमि के राष्ट्रीयकरण की भी वकालत की। योजना महत्वाकांक्षी थी क्योंकि यह संसाधनों को ठीक से नहीं जुटा सकी। इसलिए, यह पूरी तरह से अव्यवहारिक था.

- **गांधीवादी योजना**
- इस योजना का मसौदा वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमन नायारन द्वारा तैयार किया गया था। इसने कुटीर उद्योगों को विकसित करके ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया।
- **सर्वोदय योजना**
- सर्वोदय योजना (1950) का मसौदा जय प्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना स्वयं गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित थी। इस योजना में कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। इसने विदेशी प्रौद्योगिकी से मुक्ति का भी सुझाव दिया और भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर जोर दिया।
- **युद्धोत्तर निर्माण (1941-1946)**
- भारत सरकार ने जून, 1941 के दौरान युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया और कैबिनेट की एक पुनर्निर्माण समिति नियुक्त की, जिसमें वाइसराय को अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को सदस्य बनाया गया। जून, 1944 में देश में योजना कार्य को व्यवस्थित करने के लिए कार्यकारी परिषद के एक अलग सदस्य के अधीन योजना एवं विकास विभाग बनाया गया। विभाग की सहायता के लिए एक योजना एवं विकास बोर्ड था जिसमें आर्थिक विभाग के सचिव शामिल थे। इसने राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1946 में योजना का कार्य व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका था और योजना एवं विकास विभाग समाप्त कर दिया गया था।
- **सलाहकार योजना बोर्ड (1946)**
- 24 अगस्त, 1946 को अंतरिम सरकार और सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ने जनवरी, 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं: क) उत्पादन में आवश्यक वृद्धि केवल एक सुविचारित योजना के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती थी। ख) ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर नियंत्रण, वितरण और कीमत पर नियंत्रण और साथ ही पट्टों और उप-पट्टों पर नियंत्रण होना चाहिए। ग) बंगाल और बिहार में स्थायी रूप से बसे क्षेत्रों में खनिज अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिए।
- **योजना आयोग की स्थापना से पहले :**

- 15 अगस्त, 1947 के अंत में, भारत ब्रिटिश शाही शासन से मुक्त हो गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में कुछ ' राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ' शामिल थे, जो हालांकि अदालत के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते थे, लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने देश के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था और योजना आयोग की नियुक्ति पर एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है, " द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश के विभाजन के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों के कारण भारत में एक व्यापक योजना की आवश्यकता अनिवार्य तात्कालिकता का विषय बन गई है।" भारत और विश्व में आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। " इस प्रकार 15 मार्च 1950 को राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई।

नीति आयोग की उत्पत्ति और इसके उद्देश्य

योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नई संस्था - नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की दृष्टि की परिकल्पना के लिए 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था।

नीति आयोग के निर्माण के कारण

- 65 वर्ष पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था। यह कमांड इकोनॉमी संरचना में प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं।
- भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके राज्य अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- इस संदर्भ में, आर्थिक नियोजन के लिए 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' दृष्टिकोण अप्रचलित है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता।

आयोग के उद्देश्य :

- यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्र करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है।

- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक, साथ ही शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना।
- विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सुशासन और सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार होना और साथ ही हितधारकों तक उनके प्रसार में मदद करना।

समांवेशी विकास

ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के अनुसार , समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है।

- "समावेशी विकास का तात्पर्य विकास की गति और पैटर्न दोनों से है, जो आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए।" - विश्व बैंक
- यूएनडीपी ने समावेशी विकास को "वह प्रक्रिया और परिणाम बताया है जहां लोगों के सभी समूहों ने विकास में भाग लिया है और इससे समान रूप से लाभान्वित हुए हैं"।
- समावेशी विकास में व्यापक विकास, साझा विकास और गरीब-समर्थक विकास शामिल है।
- यह किसी देश में गरीबी की तीव्र वृद्धि दर को कम करता है और देश के विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है।
- समावेशी विकास से समाज के हर वर्ग को लाभ के साथ संसाधनों का निष्पक्ष आवंटन होता है। लेकिन संसाधनों का आवंटन समाज के इच्छित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभों पर केंद्रित होना चाहिए जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, लोगों तक पहुंच, रोजगार, जीवन स्तर आदि।

समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं

- हाशिये पर पड़े लोगों की बाधाओं को दूर करें ।
- समाज के सभी वर्गों की भागीदारी
- प्रति व्यक्ति आय के बीच असमानताओं में कमी:
    - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र
    - समाज के विभिन्न वर्ग
    - ग्रामीण और शहरी क्षेत्र

- अलग-अलग लिंग
- गैर-भेदभावपूर्ण
- गरीबी कम करने की उच्च संभावना
- बुनियादी ढाँचे और बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं/क्षमताओं तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना। इस पहुंच में इन बुनियादी सेवाओं की न केवल मात्रा, बल्कि गुणवत्ता भी शामिल होनी चाहिए।
- गरीबों, पिछड़े सामाजिक-आर्थिक समूहों और पिछड़े क्षेत्रों को भी शामिल करें क्योंकि वे इस विकास में भागीदार हैं

समावेशन की आवश्यकता

- भारत के लिए समावेशी विकास हासिल करना एक कठिन कार्य है। लोकतांत्रिक देश भारत में अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और उन्हें मुख्यधारा में लाना मुख्य चिंता का विषय है। भारत सरकार के लिए चुनौती विकास के स्तर को समाज के सभी वर्गों और देश के सभी हिस्सों तक ले जाना है।
- समावेशी विकास को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों की प्रतिभा को विकसित करना है। सरकारी अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि विकास हासिल करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल की कमी की चुनौती का समाधान किया जा सकता है। आजादी के बाद से भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय सुधार ने देश को 21वीं सदी में मजबूती से आगे बढ़ने में मदद की।
- भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा प्रमुख देश है। फिर भी भारत विकास से कोसों दूर है जबकि हमारा पड़ोसी चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- तेजी से और निरंतर गरीबी में कमी के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता होती है जो लोगों को आर्थिक विकास में योगदान करने और उससे लाभ उठाने की अनुमति देती है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 22% है।
- गरीबी को कम करने के लिए तीव्र विकास आवश्यक है, लेकिन इस विकास को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए, यह सभी क्षेत्रों में व्यापक होना चाहिए और इसमें देश की श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा शामिल होना चाहिए। समावेशी विकास की यह व्याख्या विकास के स्थूल और सूक्ष्म निर्धारकों के बीच सीधा संबंध दर्शाती है।
- सूक्ष्म आयाम आर्थिक विविधीकरण और प्रतिस्पर्धा के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के महत्व को दर्शाता है, जिसमें नौकरियों और फर्मों का रचनात्मक विनाश भी शामिल है।

- कई शिक्षाविदों द्वारा समावेशी विकास को विकास की गति और पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है, और इसलिए इसे एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।
- इससे यह निष्कर्ष निकला कि समावेशी विकास में सभी वर्गों को प्राप्तकर्ताओं के साथ-साथ विकास में भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और बहिष्कृत लोगों को भी विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- निम्न कृषि विकास, निम्न-गुणवत्ता वाली रोज़गार वृद्धि, निम्न मानव विकास, ग्रामीण-शहरी विभाजन, लिंग और सामाजिक असमानताएँ, और क्षेत्रीय असमानताएँ आदि राष्ट्र के लिए समस्याएँ हैं।
- जाटों और गुजरात में पटेलों के हालिया विरोध प्रदर्शन तभी बढ़ेंगे जब कृषि उत्पादकता, रोजगार वृद्धि के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- औपचारिकता और खराब कौशल विकास के कारण श्रम उत्पादकता बहुत कम है।
- आबादी के सभी वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच समान नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है और वे सभी क्षेत्रों में अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। इसलिए समावेशी विकास महिला सशक्तीकरण की कुंजी है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ संकटपूर्ण प्रवासन में वृद्धि का कारण हैं, चाहे वह राज्य के भीतर हो या अंतर-राज्य। संकटपूर्ण प्रवासन आवास, आवास, सुरक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता की समस्याएं पैदा करता है।
- वित्तीय समावेशन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने की कुंजी है।
- देश में भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है और समावेशी विकास को रोकता है।
- राजनीतिक नेतृत्व देश की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण कई योजनाओं का क्रियान्वयन ख़राब है।
- सतत विकास के लिए समावेशी विकास का महत्व निर्विवाद है।
- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अमीरों की तुलना में गरीबों को अधिक प्रभावित करते हैं। विस्थापित आबादी संकटपूर्ण प्रवासन और राज्य के संसाधनों पर तनाव को और बढ़ा देती है।
- भारत के लिए एमडीजी रिपोर्ट (2015) बताती है कि 18 संकेतकों में से, भारत केवल चार संकेतकों में ही सही राह पर है। बाकी संकेतकों में भारत की पहचान या तो ऑफ-ट्रैक या मामूली ऑन-ट्रैक के रूप में की गई है। समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किए बिना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।
- समावेशी विकास दृष्टिकोण विशाल परिप्रेक्ष्य लेता है क्योंकि बहिष्कृत समूहों के लिए आय बढ़ाने के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण के बजाय उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- अल्पावधि में, सरकारें विकास को गति देने के उद्देश्य से गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आय वितरण योजनाओं का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन स्थानांतरण योजनाएं लंबे समय में जवाब नहीं हो सकती हैं और अल्पावधि में चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं।
- गरीब देशों में ऐसी योजनाएं पहले से ही बढ़े हुए बजट पर बड़ा बोझ डाल सकती हैं, और उन देशों में पुनर्वितरण के माध्यम से गरीबी को कम करना सैद्धांतिक रूप से असंभव है जहां औसत आय प्रति वर्ष 700 अमेरिकी डॉलर से नीचे आती है।
- ओईसीडी अध्ययन ने संकेत दिया कि विकसित देशों में भी, आबादी के कुछ हिस्सों में बढ़ती गरीबी दर के लिए पुनर्वितरण योजनाएं ही एकमात्र प्रतिक्रिया नहीं हो सकती हैं।
- समावेशी विकास का मतलब आर्थिक विकास है जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है।
- इसका मतलब गरीबों तक स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच होना है। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है।
- इसमें एक ऐसी विकास प्रक्रिया भी शामिल है जो पर्यावरण के अनुकूल विकास है, जिसका उद्देश्य सुशासन है और एक लिंग संवेदनशील समाज के निर्माण में मदद करता है।

समावेशन की आवश्यकता

- भारत के लिए समावेशी विकास हासिल करना एक कठिन कार्य है। लोकतांत्रिक देश भारत में अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और उन्हें मुख्यधारा में लाना मुख्य चिंता का विषय है। भारत सरकार के लिए चुनौती विकास के स्तर को समाज के सभी वर्गों और देश के सभी हिस्सों तक ले जाना है।
- समावेशी विकास को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों की प्रतिभा को विकसित करना है। सरकारी अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि विकास हासिल करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के प्रति बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल की कमी की चुनौती का समाधान किया जा सकता है। आजादी के बाद से भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय सुधार ने देश को 21वीं सदी में मजबूती से आगे बढ़ने में मदद की।
- भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा प्रमुख देश है। फिर भी भारत विकास से कोसों दूर है जबकि हमारा पड़ोसी चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- तेजी से और निरंतर गरीबी में कमी के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता होती है जो लोगों को आर्थिक विकास में योगदान करने और उससे लाभ उठाने की अनुमति देती है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 22% है।

- गरीबी को कम करने के लिए तीव्र विकास आवश्यक है, लेकिन इस विकास को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए, यह सभी क्षेत्रों में व्यापक होना चाहिए और इसमें देश की श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा शामिल होना चाहिए। समावेशी विकास की यह व्याख्या विकास के स्थूल और सूक्ष्म निर्धारकों के बीच सीधा संबंध दर्शाती है।
- सूक्ष्म आयाम आर्थिक विविधीकरण और प्रतिस्पर्धा के लिए संरचनात्मक परिवर्तन के महत्व को दर्शाता है, जिसमें नौकरियों और फर्मों का रचनात्मक विनाश भी शामिल है।
- कई शिक्षाविदों द्वारा समावेशी विकास को विकास की गति और पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है, और इसलिए इसे एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।
- इससे यह निष्कर्ष निकला कि समावेशी विकास में सभी वर्गों को प्राप्तकर्ताओं के साथ-साथ विकास में भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और बहिष्कृत लोगों को भी विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- निम्न कृषि विकास, निम्न-गुणवत्ता वाली रोज़गार वृद्धि, निम्न मानव विकास, ग्रामीण-शहरी विभाजन, लिंग और सामाजिक असमानताएँ, और क्षेत्रीय असमानताएँ आदि राष्ट्र के लिए समस्याएँ हैं।
- जाटों और गुजरात में पटेलों के हालिया विरोध प्रदर्शन तभी बढ़ेंगे जब कृषि उत्पादकता, रोजगार वृद्धि के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- औपचारिकता और खराब कौशल विकास के कारण श्रम उत्पादकता बहुत कम है।
- आबादी के सभी वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच समान नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है और वे सभी क्षेत्रों में अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। इसलिए समावेशी विकास महिला सशक्तीकरण की कुंजी है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ संकटपूर्ण प्रवासन में वृद्धि का कारण हैं, चाहे वह राज्य के भीतर हो या अंतर-राज्य। संकटपूर्ण प्रवासन आवास, आवास, सुरक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता की समस्याएं पैदा करता है।
- वित्तीय समावेशन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने की कुंजी है।
- देश में भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है और समावेशी विकास को रोकता है।
- राजनीतिक नेतृत्व देश की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण कई योजनाओं का क्रियान्वयन ख़राब है।
- सतत विकास के लिए समावेशी विकास का महत्व निर्विवाद है।
- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अमीरों की तुलना में गरीबों को अधिक प्रभावित करते हैं। विस्थापित आबादी संकटपूर्ण प्रवासन और राज्य के संसाधनों पर तनाव को और बढ़ा देती है।

- भारत के लिए एमडीजी रिपोर्ट (2015) बताती है कि 18 संकेतकों में से, भारत केवल चार संकेतकों में ही सही राह पर है। बाकी संकेतकों में भारत की पहचान या तो ऑफ-ट्रैक या मामूली ऑन-ट्रैक के रूप में की गई है। समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किए बिना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।
- समावेशी विकास दृष्टिकोण विशाल परिप्रेक्ष्य लेता है क्योंकि बहिष्कृत समूहों के लिए आय बढ़ाने के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण के बजाय उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- अल्पावधि में, सरकारें विकास को गति देने के उद्देश्य से गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आय वितरण योजनाओं का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन स्थानांतरण योजनाएं लंबे समय में जवाब नहीं हो सकती हैं और अल्पावधि में चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं।
- गरीब देशों में ऐसी योजनाएं पहले से ही बढ़े हुए बजट पर बड़ा बोझ डाल सकती हैं, और उन देशों में पुनर्वितरण के माध्यम से गरीबी को कम करना सैद्धांतिक रूप से असंभव है जहां औसत आय प्रति वर्ष 700 अमेरिकी डॉलर से नीचे आती है।
- ओईसीडी अध्ययन ने संकेत दिया कि विकसित देशों में भी, आबादी के कुछ हिस्सों में बढ़ती गरीबी दर के लिए पुनर्वितरण योजनाएं ही एकमात्र प्रतिक्रिया नहीं हो सकती हैं।
- समावेशी विकास का मतलब आर्थिक विकास है जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है।
- इसका मतलब गरीबों तक स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच होना है। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है।
- इसमें एक ऐसी विकास प्रक्रिया भी शामिल है जो पर्यावरण के अनुकूल विकास है, जिसका उद्देश्य सुशासन है और एक लिंग संवेदनशील समाज के निर्माण में मदद करता है।

भारत में असमानता के कारण

भारत में असमानता के कारणों के रूप में निम्नलिखित को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

1. **ऐतिहासिक कारण:** ऐतिहासिक काल से ही समाज के कुछ वर्गों के प्रति भेदभाव। इससे उनकी पसंद, अवसर और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तक पहुंच प्रभावित हुई है। हालाँकि आरक्षण जैसी नीतियाँ आज़ादी के बाद से लागू की गई हैं, लेकिन वे केवल आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ही सफल रहीं, वह भी लोगों के एक सीमित वर्ग के लिए, लेकिन सामाजिक उत्थान में काफी हद तक विफल रहीं।
2. महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन और कमजोर माना जाता था। लड़कियों की शिक्षा को परिवार पर बोझ माना जाता है और महिलाओं के पास रोजगार के विकल्प सीमित होते हैं।

3. **बड़े पैमाने पर अनौपचारिक रोज़गार:** भारतीय श्रम शक्ति का 80% अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ के बिना अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियाँ अधिक असुरक्षित हैं। इससे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच वेतन अंतर बढ़ जाता है।
4. जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है लेकिन कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर रहा है।
5. **अंतर-राज्यीय असमानताएँ:** विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में विकास अलग-अलग रहा है। उदाहरण के लिए, हरित क्रांति ने पूर्वी भारत की तुलना में पश्चिमी और दक्षिणी भारत को असंगत रूप से लाभान्वित किया है।
6. अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था को खोलने से गरीबों की तुलना में अमीरों को अधिक लाभ हुआ है, जिससे असमानता बढ़ी है। डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक मंचों के परिणामस्वरूप व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है जिससे स्थानीय निवेशकों और उत्पादकों का रिटर्न प्रभावित हुआ है।
7. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के पेपर के अनुसार, कर प्रगतिशीलता जो असमानता में वृद्धि को रोकने का एक उपकरण है, उत्तरोत्तर कम हो गई थी। कई क्षेत्रों में वेतन असमानता का फैलाव भी बढ़ गया, क्योंकि निजीकरण ने सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान को हटा दिया, जो कम असमान थे।
8. कौशल विकास का अभाव और रोजगारहीन विकास।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित विकास

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005** : इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो **"काम करने के अधिकार" की गारंटी देता है।** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम से कम **सौ दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य** प्रदान करना , जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्ति का निर्माण होता है।
- **मिशन अंत्योदय :** स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों - मानव और वित्तीय - को एकत्रित करके संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करके योजना बनाने के लिए मूल इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ सरकारी हस्तक्षेप को एकजुट करना चाहता है।
- **राष्ट्रीय रूर्बन मिशन:** "गांवों के एक समूह के विकास के लिए जो अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति की मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समानता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करता है, इस प्रकार" रूर्बन का एक समूह तैयार करता है । गाँव"।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:** 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना।
- **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना** (पीएमएजीवाई), वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित गांवों का एकीकृत विकास करना है।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना।

सतत एवं समावेशी कृषि विकास

- **पीएम किसान सम्पदा योजना:** यह एक व्यापक योजना है जिसमें मंत्रालय की मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसी चल रही योजनाएं और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नई योजनाएं भी शामिल हैं । बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार।
- **पीएम फसल बीमा योजना:** प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** देश के सभी कृषि फार्मों तक सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के लिए, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आएगी।
- **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार:** एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) मंडियों को नेटवर्क बनाता है। एनएएम पोर्टल एपीएमसी से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एकल विंडो सेवा प्रदान करता है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना:** प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) का एक विस्तृत घटक है। पीकेवीवाई के तहत क्लस्टर दृष्टिकोण और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा जैविक गांव को अपनाने के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** पशुधन उत्पादन प्रणालियों और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना। यह योजना श्वेत क्रांति-राष्ट्रीय की उपयोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है अप्रैल 2019 से पशुधन विकास योजना।

भारत में गरीबी से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण

- **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी):** इसे 1978-79 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर, 1980 से सार्वभौमिक बनाया गया था ' जिसका उद्देश्य क्रमिक योजना अवधि के माध्यम से उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण गरीबों को सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में सहायता प्रदान करना था।
- **जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना:** जेआरवाई का उद्देश्य आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक और सामाजिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्परोजगारों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना था।
- **काम के बदले भोजन कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। राज्यों को मुफ्त में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, हालांकि, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति धीमी रही है।
- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस):** यह पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के कार्यान्वयन का काम पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिया गया है। राज्य का योगदान राज्य के आधार पर भिन्न हो सकता है। 60-79 आयु वर्ग के आवेदकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि ₹200 प्रति माह है। 80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए, 2011-2012 के बजट के अनुसार राशि को संशोधित कर ₹500 प्रति माह कर दिया गया है। यह एक सफल उपक्रम है.
- **अन्नपूर्णा योजना:** यह योजना सरकार द्वारा 1999-2000 में उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के अंतर्गत नहीं हैं, और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनके गांव में. यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। वे अधिकतर 'सबसे गरीब लोगों' और 'निर्धन वरिष्ठ नागरिकों' के समूहों को निशाना बनाते हैं ।
- **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई): इस योजना का** मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा का प्रावधान करना है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका (2011):** यह ग्रामीण गरीबों की जरूरतों में विविधता लाने और उन्हें मासिक आधार पर नियमित आय के साथ रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता को विकसित करता है। जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।
- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:** एनयूएलएम शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने, बाजार आधारित रोजगार के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करने और उन्हें ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित है।

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना:** यह श्रम बाजार में नए प्रवेशकों , विशेष रूप से श्रम बाजार और दसवीं और बारहवीं कक्षा छोड़ने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

इस संबंध में सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भूमिका

- **स्वच्छता उद्यमी योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में भुगतान और उपयोग** सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव और स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास:** विश्व स्तरीय स्टेशनों के विकास के लिए एक आत्मनिर्भर पीपीपी-आधारित मॉडल
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इको-पर्यटन सुविधाएं:** अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के सात द्वीपों में टिकाऊ इको-पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) केंद्रों में खेल और शिक्षा के लिए एकीकृत स्कूल स्थापित करना :** ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित और पोषित करने के लिए खेल और शिक्षा को एकीकृत करना जो प्रशिक्षण प्राप्त करने और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के साथ-साथ शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
- **सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग में वृद्धि:** सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
- **भारतनेट की संरचना :** वृद्धिशील विकास और प्रभाव के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता, गुणवत्ता और निवेश पर कब्जा करना।

औद्योगिक विकास और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका

- **कृषि के आधुनिकीकरण** के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है ।
- औद्योगिक विकास **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करता है।**
- **शहरीकरण** औद्योगीकरण सफल होता है । किसी विशेष क्षेत्र में औद्योगीकरण से परिवहन और संचार का विकास होता है।
- **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता** हासिल करने के लिए औद्योगीकरण जरूरी है।
- औद्योगीकरण **व्यापार को बढ़ावा देने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । उन्नत राष्ट्र औद्योगिक रूप से पिछड़े देशों की तुलना में व्यापार में लाभ प्राप्त करते हैं।
- औद्योगीकरण के माध्यम से **गरीबी और बेरोजगारी को** शीघ्रता से समाप्त किया जा सकता है ।
- उद्योग को **आर्थिक विकास के अग्रणी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है** । औद्योगिक विकास **राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है।**

भारत में बैंकिंग प्रणाली का ऐतिहासिक विकास

चरण 1: स्वतंत्रता पूर्व चरण

आजादी से पहले भारत में लगभग 600 बैंक मौजूद थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में स्थापित होने वाला पहला बैंक 1770 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यह 1832 में बंद हो गया। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था।

कुछ अन्य बैंक जो 19वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे, जैसे कि इलाहाबाद बैंक (स्था. 1865) और पंजाब नेशनल बैंक (स्था. 1894), समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी मौजूद हैं।

चरण 2: स्वतंत्रता के बाद का चरण

1975 में, भारत सरकार ने माना कि कई समूहों को आर्थिक रूप से बाहर रखा गया था। 1982 और 1990 के बीच, इसने भारत में वित्तीय सेवाओं के विकास के अनुरूप विशिष्ट कार्यों वाले बैंकिंग संस्थान बनाए।

- नाबार्ड
- एक्ज़िम बैंक .. आदि

चरण 3: एलपीजी युग (1991 से आज तक)

1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आया। सरकार ने निजी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आरबीआई द्वारा दस निजी बैंकों को मंजूरी दी गई। इस उदारीकरण के कुछ प्रमुख नाम जो आज भी मौजूद हैं, वे हैं एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, डीसीबी और इंडसइंड बैंक।

2000 के दशक के आरंभ से मध्य तक, दो अन्य बैंकों, कोटक महिंद्रा बैंक (2001) और यस बैंक (2004) को अपने लाइसेंस प्राप्त हुए। 2013-14 में आईडीएफसी और बंधन बैंकों को भी लाइसेंस दिया गया था.

अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन हैं:

- सिटीबैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे विदेशी बैंकों ने भारत में शाखाएँ स्थापित कीं।
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण रुक गया।

बैंकों ने लेनदेन और विभिन्न अन्य संबंधित बैंकिंग कार्यों को डिजिटल बनाना शुरू कर दिया

किसी अर्थव्यवस्था में बैंकों के कार्य

बैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- **बचत का संग्रह :** आजकल लोग अपनी बचत घर पर नहीं रखते। वे उन्हें बैंकों में जमा करते हैं। जिससे हानि (चोरी आदि से) का जोखिम टल जाता है। इसके अलावा कुछ ब्याज भी मिलता है. जमा विभिन्न प्रकार के होते हैं. कुछ चालू जमा हैं.

ऐसी जमाओं पर दिया जाने वाला ब्याज या तो बहुत कम होता है या शून्य होता है। कुछ जमाएँ एक निश्चित अवधि (एक वर्ष, दो वर्ष, आदि) के बाद निकाली जा सकती हैं या जमा की गई राशि के कुछ अंश के अधीन होती हैं, आदि)। ऐसी जमाओं को सावधि जमा कहा जाता है। सावधि जमा की विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग नाम हैं, उदाहरण के लिए, सावधि जमा, बचत जमा, आदि। सावधि जमा पर ब्याज की उच्च दर मिलती है।

- **ऋण और निवेश:** बैंक व्यापारियों, उद्योगपतियों और अन्य व्यक्तियों को पैसा उधार देते हैं। ऋण विभिन्न तरीकों से दिया जाता है। कभी-कभी उधारकर्ता के नाम पर एक खाता खोला जाता है और उसे उस पर चेक निकालने की अनुमति दी जाती है।

खाता रखने वाले व्यक्ति को खाते में मौजूद राशि से अधिक धन निकालने का अधिकार दिया जा सकता है। इसे ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में जाना जाता है। कोई बैंक विनिमय बिल या हुंडी पर छूट देकर भी धन उधार दे सकता है।

बैंक कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर और सरकारी प्रॉमिसरी नोट्स पर पैसा निवेश करते हैं। वे सरकारी प्रॉमिसरी नोट्स, शेयर, डिबेंचर, सोना, निर्माण के दौरान माल आदि की सुरक्षा के खिलाफ औद्योगिक चिंताओं को पैसा उधार देते हैं। जीपी नोट्स, शेयर, डिबेंचर, जीवन बीमा पॉलिसियों और सोने के खिलाफ निजी व्यक्तियों को भी ऋण दिया जाता है।

- **का निर्माण :** पहले बैंक मांग पर देय नोट छाप और जारी कर सकते थे। नोटों का प्रयोग पूर्व - परिवर्तन के माध्यम के रूप में किया जाता था। आजकल केवल देश का केंद्रीय बैंक ही नोट जारी कर सकता है। हालाँकि, बैंक अपने पास जमा धन से अधिक ऋण दे सकते हैं। ऐसे ऋणों के लिए चेक निकाले जा सकते हैं और चेक का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार, बैंक पैसा बना सकते हैं।
- **अन्य कार्य:** वाणिज्यिक बैंक कई अन्य कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, वे क़ीमती सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं: लॉकर, शेयर, डिबेंचर, जीपी नोट्स, आदि, और बीमा प्रीमियम, बिल आदि के भुगतान के लिए। वे वसीयत के निष्पादक और ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं; और एक दूसरे के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं का आदान-प्रदान करते हैं।

भारत में बैंकिंग प्रणाली से जुड़े मुद्दे

कुछ रिपोर्टों के अनुसार 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग उद्योग बनने की क्षमता के साथ, भारत का बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। भारतीय बैंकिंग उद्योग वर्तमान में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का है और बैंक अब तेजी से विस्तार कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार बैंकिंग उद्योग का जाल दूर-दूर तक फैलाना चाहती है। नोटबंदी और कोविड महामारी के दौर में बैंक कर्मचारियों ने आम आदमी की मुश्किलों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन हाल ही में इन मुद्दों को लेकर बैंक यूनियन की हड़ताल हुई:

- विमुद्रीकरण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त घंटों के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए
- वेतन पुनरीक्षण की शीघ्र शुरूआत
- सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्तियाँ
- खराब ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदम
- जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई
- शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम
- ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी

कुछ तथ्य:

- भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया।
- एम.नरसिम्हन की अध्यक्षता में दो ऐसी विशेषज्ञ समितियाँ स्थापित की गईं , जिन्होंने नरसिम्हन समिति-I (1991) और नरसिम्हन समिति-II (1998) रिपोर्ट के रूप में व्यापक रूप से ज्ञात रिपोर्टों के माध्यम से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
- इन सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग की क्षमता को उजागर करने में मदद की।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक स्वायत्तता का प्रस्ताव किया गया।
- समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय की भी सिफारिश की।
- एनपीए भारत के बैंकिंग क्षेत्र की परेशानी का सबसे बड़ा कारण था।
- 60 और 70 के दशकों के दौरान, भारत ने अपने अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी परिणति भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट के साथ हुई। भारत को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए आईएमएफ को सोना हवाई जहाज से भेजना पड़ा। इस घटना ने भारत की पिछली बैंकिंग नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दे और संभावित समाधान इस प्रकार हैं:

- **ट्रेड यूनियन:** आजकल कई ट्रेड यूनियन प्रासंगिकता खो रही हैं या फोकस से बाहर हो गई हैं क्योंकि वे अधिकांश कार्यबल और उनकी मांगों या पेशेवर प्रबंधकों से जुड़ने में असमर्थ हैं। बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श की कमी है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की तरह , ट्रेड यूनियनों को भी सुधार करने और खुद को श्रमिकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। सहभागी ट्रेड यूनियनें वहां हो सकती हैं जहां मुद्दों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयास किए जाते हैं।

- **बैंकिंग पेशेवर:** 60 और 70 के दशक के दौरान, भारत लगभग नकदी अर्थव्यवस्था था। नोटबंदी के बाद करीब 60 फीसदी आबादी डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ी है। पहले, बैंक एक महत्वपूर्ण घटक था लेकिन आज लेनदेन के डिजिटल मोड के साथ, चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं। यह भी एक कारण है कि इस प्रकार के शारीरिक हमले प्रासंगिकता खो रहे हैं। जैसे-जैसे डिजिटलीकरण आगे बढ़ रहा है, शायद बैंकिंग पेशेवरों को एक अलग भूमिका निभाने के लिए खुद को फिर से तैयार करना होगा।
- **विलफुल डिफॉल्टर्स:** पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बुरे ऋण या एनपीए हुए। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल कर्ज का 36.9 फीसदी जोखिम में है और बैंकों के पास सिर्फ 8-9 फीसदी तक का नुकसान झेलने की क्षमता है. ऐसे कई डिफॉल्टर हैं जो अच्छी वित्तीय स्थिति होने के बावजूद कड़े उपायों की कमी के कारण अपना ऋण वापस नहीं करते हैं। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर कुछ प्रकार की असुविधाएं लगाई जानी चाहिए जैसे कि उन्हें एयरलाइंस, सार्वजनिक परिवहन, होटल या सार्वजनिक स्थानों पर चेक इन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे डिफॉल्टरों पर नियंत्रण लगाने के लिए डर का माहौल होना चाहिए।
- **प्रमुख नियुक्तियों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता:** बैंक बोर्ड ब्यूरो के कार्य अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। उनमें से कुछ में प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ-साथ पीएसबी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का चयन और नियुक्ति, बैंकों को महत्वपूर्ण पदों के लिए एक मजबूत नेतृत्व उत्तराधिकार योजना विकसित करने में मदद करना, सरकार को आचार संहिता और नैतिकता के निर्माण और कार्यान्वयन पर सलाह देना शामिल है। बैंक अधिकारी, और अन्य बातों के अलावा, बैंकों को व्यावसायिक रणनीतियाँ और पूंजी जुटाने की योजना विकसित करने में मदद करते हैं। लेकिन प्रमुख नियुक्तियों में इसका अंतिम अधिकार नहीं है।

- **एनपीए:** किसी परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद, ये कदम उठाए जा सकते हैं:
    - उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्तियों को जब्त करें और उन्हें बेच दें
    - प्रमोटरों और प्रबंधन को ला सकते हैं लेकिन समस्या यह है कि भारत में एसडीआर योजना लागू नहीं की गई है। प्रभावी ढंग से अभी तक.

- बैंक इस तरह से ऋणों का पुनर्गठन कर सकते हैं कि उधारकर्ता उन्हें सेवा देने में सक्षम हों जैसे कि भुगतान की अवधि बढ़ाना, या ऋण का एक हिस्सा माफ करना, या ऋण पर ब्याज दर कम करना, या इनमें से कुछ संयोजन लेकिन इस कदम के परिणाम बैंकों के लिए नुकसान है.
- किसी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को छूट पर एनपीए बेचें, जिसमें लेन-देन करने पर फिर से ऋण पर महत्वपूर्ण नुकसान होता है, लेकिन इससे बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने में मदद मिलेगी।
- बैड बैंक का भी एक विचार है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को स्थानांतरित किया जा सकता है जो उपयुक्त तरीकों से एनपीए का प्रबंधन करेगा और पीएसबी को नए व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा लेकिन इस विचार से संबंधित मुद्दे फिर से हैं। पीएसबी के आकार और उनके एनपीए को देखते हुए, बुरे बैंकों को बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। इस बैंक में हितधारक कौन हों यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

- **मौद्रिक संचरण का मुद्दा:** कम मुनाफे की तरह, यह भी सिस्टम में बढ़ते एनपीए का एक कारण है। मुद्रास्फीति में कमी और मुद्रास्फीति की उम्मीदों में कमी के साथ, आरबीआई ने जनवरी और सितंबर 2015 के बीच रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती की।

हालाँकि, मुख्य नीति दर में बदलाव उधार दरों में परिलक्षित नहीं हुआ क्योंकि बैंक उच्च एनपीए की पृष्ठभूमि के खिलाफ तरलता की कम उपलब्धता के कारण कम ब्याज वाली नीति व्यवस्था के लाभों को प्रसारित करने के इच्छुक नहीं हैं।

- **भ्रष्टाचार: पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीबीटी) और बैंक ऑफ बड़ौदा** में घोटाले दिखाते हैं कि कैसे कुछ अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए उदारीकरण की आड़ में दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इन घोटालों ने इन बैंकों की छवि को और परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रदता को बहुत नुकसान पहुँचाया है।
- **प्रबंधन में संकट:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इन दिनों अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए, युवा कर्मचारी बड़े, अधिक अनुभवी कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं। हालाँकि, यह जूनियर स्तर पर होता है। परिणामस्वरूप, मध्य और वरिष्ठ स्तर पर एक आभासी शून्यता आ जाएगी। मध्य प्रबंधन की अनुपस्थिति से बैंकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रास्ता : पांचवीं पीढ़ी की बैंकिंग

- **बड़े बैंक:** द नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट (1991) में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में विदेशी बैंकों के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले तीन या चार बड़े वाणिज्यिक बैंक होने चाहिए।

दूसरे स्तर में अर्थव्यवस्था-व्यापी उपस्थिति वाले आला बैंकों सहित कई मध्यम आकार के ऋणदाता शामिल हो सकते हैं।

इन सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने पहले ही कुछ पीएसबी का विलय कर दिया है, डीएफआई, बैड बैंक आदि की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं।

- **विभेदित बैंकों की आवश्यकता :** यद्यपि सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल को व्यापक रूप से पसंद किया गया है, विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशिष्ट और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट बैंकिंग की आवश्यकता है।

अनिवार्य रूप से, ये विशिष्ट बैंक रैम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों में वित्त की पहुंच को आसान बनाएंगे।

इसके अलावा, प्रस्तावित डीएफआई/आला बैंकों को कम लागत वाली सार्वजनिक जमा तक पहुंच और बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन के लिए विशेष बैंकों के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

- **प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग:** जोखिम प्रबंधन अधिक विशिष्ट हो सकता है और नव-बैंक वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और आकांक्षी/नए भारत के उच्च विकास को वित्तपोषित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं।
- **नैतिक खतरे को कम करना: आज** तक , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विफलता एक दुर्लभ घटना रही है और छिपी हुई संप्रभु गारंटी बैंकों में बेहतर जनता के विश्वास का मुख्य कारण है। हालाँकि, पीएसबी के निजीकरण अभियान के साथ, यह हमेशा सच नहीं हो सकता है।

इसलिए, पांचवीं पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों को सार्वजनिक खजाने पर कम से कम लागत के साथ नैतिक खतरे और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए उच्च व्यक्तिगत जमा बीमा और प्रभावी व्यवस्थित समाधान व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- **ईएसजी फ्रेमवर्क:** विभेदित बैंकों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और लंबे समय में अपने हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन) ढांचे का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- **सशक्त बनाना :** सरकार को उन्हें विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने, क्षेत्र-वार नियामकों की स्थापना करने, जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करने की अनुमति देकर ढीली सीमाओं को मजबूत करना चाहिए।

गतिशील वास्तविक अर्थव्यवस्था में एक उत्तरदायी बैंकिंग प्रणाली बनाने के लिए कॉर्पोरेट बांड बाजार (बैंक के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था से बदलाव) के लिए मार्ग प्रशस्त करने की भी आवश्यकता है।

सामाजिक अधिकारिता

सशक्तिकरण लोगों और समुदायों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की डिग्री बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए उपायों का एक समूह है ताकि उन्हें जिम्मेदार और आत्म-निर्धारित तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया जा सके।

सामाजिक सशक्तिकरण क्या है?

- **सामाजिक सशक्तिकरण** का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का **अपने जीवन और अवसर पर समान नियंत्रण होना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए** . समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सशक्त किए बिना कोई भी राष्ट्र कभी भी अच्छा विकास पथ हासिल नहीं कर सकता।
- **स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना विकसित करने** और सामाजिक रिश्तों और संस्थानों और प्रवचनों को बदलने के लिए **व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने** की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो गरीब लोगों को बाहर करते हैं और उन्हें गरीबी में रखते हैं।
- **सशक्त होने की धारणाएं समय, संस्कृति और व्यक्ति के जीवन के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती हैं:**
    - एक निचली जाति का व्यक्ति तब सशक्त महसूस करता है जब उसे सार्वजनिक बैठक में निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूह के पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं।
    - एक रूढ़िवादी परिवार की महिला को सशक्त महसूस होता है अगर उसे अपने घर से किसी पुरुष के साथ बिना अकेले बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।
    - एक ट्रांसजेंडर को रोजगार मिलने पर वह सशक्त महसूस करता है।

सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता

- सामाजिक सशक्तिकरण **व्यक्ति को सही नौकरी लेने की ओर ले जाता है** और इस प्रकार **बेरोजगारी और अल्प-रोज़गार की घटनाओं में कमी आती है।**
- सामाजिक सशक्तिकरण से समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ होने वाली **सामाजिक हिंसा में कमी आती है।** यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से सशक्त है, तो वह **जानता है कि उसे कौन से अधिकार** प्राप्त हैं और **उसके क्या कर्तव्य हैं** ।
- **भ्रष्टाचार के मामले में** सामाजिक सशक्तिकरण भी फायदेमंद है क्योंकि लोग शोषक वर्ग को समझते हैं और रिश्वत देने से बचते हैं जिससे अंततः भ्रष्टाचार कम होता है।
- सामाजिक सशक्तिकरण **गरीबी कम करने का एक तरीका है** । जब लोग सशक्त होते हैं, तो वे **ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करते हैं** और किसी तरह अपनी गरीबी को कम करते हैं जो राष्ट्रीय विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- सशक्तिकरण का मुख्य लाभ यह है कि इससे **समाज का समग्र और समावेशी विकास** होगा । लोग जो पैसा कमाते हैं उससे न केवल उनकी या उनके परिवार की मदद होती है, बल्कि यह **समाज के विकास में भी मदद करता है** ।

सामाजिक रूप से वंचित समूह

अनुसूचित जनजाति

- महिलाएं
- अनुसूचित जाति
- अल्पसंख्यकों
- ग्रामीण आबादी
- वरिष्ठ नागरिकों
- विकलांग व्यक्ति

अनुसूचित जनजातियाँ

- अनुसूचित जनजातियों को **30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है** और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूहों आदि की संख्या **लगभग है 705** .

- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आदिवासी आबादी **कुल आबादी का 8.6%** (**43 करोड़**) है। हालाँकि, **उनमें से 89.97% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं क्षेत्रों में** और **शहरी क्षेत्रों में 10.03%** । इनमें से **1.57 प्रतिशत** (लगभग 1.32 मिलियन) **आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) से संबंधित हैं।**

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए एक **विषम समूह का प्रतिनिधित्व करती है।** भाषा, सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आजीविका के पैटर्न में अंतर देखा जाता है।
- **एसटी आबादी का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा केवल** देश के सात राज्यों में केंद्रित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। 3 राज्यों (दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा) **और 2 केंद्र शासित प्रदेशों** (पुडुचेरी और चंडीगढ़) **में कोई एसटी आबादी नहीं** है , क्योंकि कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।
- **बुनियादी सुविधाओं की कमी-** 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि आदिवासी आबादी के बीच नल का पानी, स्वच्छता सुविधाएं, जल निकासी सुविधाएं और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच बहुत कम है।

जनजातीय समुदायों की आवश्यक विशेषताएँ हैं:

- आदिम लक्षण
- भौगोलिक अलगाव
- विशिष्ट संस्कृति
- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से कतराते हैं

अंतर्विवाह की प्रथा जनजाति के भीतर होती है और आत्म-पृथक्करण के एक रूप के रूप में काम कर सकती है, और समुदाय इसका उपयोग आसपास की आबादी के साथ एकीकरण और पूर्ण विलय का विरोध करने के लिए करता है।

- जनजातीय समुदाय मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों तक **विभिन्न पारिस्थितिक और भू-जलवायु स्थितियों में रहते हैं ।**
- जनजातीय समूह **सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।** जबकि कुछ आदिवासी समुदायों ने मुख्यधारा की जीवन शैली अपना ली है, स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, **कुछ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (**पीवीटीजी**) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । पीवीटीजी **18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं ।**
- 1973 में **ढेबर आयोग ने** आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) को **एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया** , जो **जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं । 2006** में , सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर **पीवीटीजी कर दिया।**
- सूचीबद्ध 75 पीवीटीजी में से सबसे अधिक संख्या **ओडिशा में पाई जाती है ।**
- पीवीटीजी **कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है , न ही इन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है**

- **मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहरिया लोग** 4 लाख **से** अधिक आबादी वाले पीवीटीजी में सबसे बड़े हैं।

PVTGs की विशेषता है:

- प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
- अधिकतर समरूप
- स्थिर या घटती जनसंख्या
- अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से पृथक
- अत्यंत कम साक्षरता
- परिवर्तन की धीमी दर
- अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर

भारत में उल्लेखनीय पीवीटीजी -

- **केरल** - चोलनाइकायन (कट्टूनाइकन्स का एक वर्ग), कादर, कट्टुनायकन , कुरुम्बास , कोरगा, इरुलास
- **बिहार और झारखंड** - असुर , बिरहोर, बिरजिया , हिल खरिया, कोनवास , माल पहाड़िया, परहैया , सौदा पहाड़िया, सावर।
- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** - बोडो गदाबा , बोंडो पोरोजा , चेंचू , डोंगरिया खोंड, गुटोब गदाबा , खोंड पोरोजा , कोलम, कोंडारेड्डी , कोंडा सावरस , कुटिया खोंड, पारेंगी पोरोजा , थोटी ।
- **मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़** अबूझ माकिया, बैगा , भारिया , पहाड़ी कोरबा, कामर सहरिया , बिरहोर.
- **महाराष्ट्र** - कटकारिया (कथोडिया), कोलम, मारिया गोंड।
- **राजस्थान Rajasthan**
- **तामिल नाडु** - कट्टू नायकन , कोटा, कुरुम्बा , इरुला , पनियान टोडास ।
- **उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड** - बक्सास , राजिस ।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** - ग्रेट अंडमान , जारवा , ओंगेस , सेंटिनलीज़, शॉर्न पेन।

भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति:

- जनगणना के अनुसार, 2011 में **एसटी के लिए साक्षरता दर** राष्ट्रीय औसत 73% की तुलना में 59% है।
- अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता का स्तर **68.5% है** लेकिन **महिलाओं के लिए यह अभी भी 50% से नीचे है**

आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

	प्रावधान बनाकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है
अनुच्छेद 29	कि कोई भी नागरिक/नागरिकों का वर्ग जिसकी एक विशिष्ट भाषा हो, लिखी हुई कहानी, संस्कृति के लिए उसे संरक्षित करने का अधिकार है।
	डीपीएसपी के तहत प्रावधान है कि, राज्य को बढ़ावा देना होगा
अनुच्छेद 46	कमजोरों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखा जाए लोगों के कुछ वर्ग, और विशेष रूप से, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति.
	राज्यों (अनुसूचित जनजाति वाले) को सहायता अनुदान प्रदान करता है
अनुच्छेद 275(1)	ढका हुआ संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत।
	कहा गया है कि राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
अनुच्छेद 350ए	में अनुदेश शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा।
	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) **अनुसूचित को परिभाषित करता है**
	क्षेत्रों जैसा
पांचवी अनुसूची कला. 244(1)	**भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया** है संविधान की पांचवी अनुसूची में उल्लेखित है। भारत में, टी यहां **10 राज्य हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं** ।
छठी अनुसूची कला. 244	संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है?

चार पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसार

अनुच्छेद 244.

आदिवासियों के लिए विधायी प्रावधान

1.	**अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (मान्यता)। वन का अधिकार) अधिनियम, 2006 (एफआरए) में 75 पीवीजीटी** के संबंध में एक विशेष धारा है और अधिनियम पीवीटीजी के वन और आवास अधिकारों को मान्यता देता है।
2	**पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा):** यह राष्ट्रीय के दायरे में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करता है पंचायत की रूपरेखा . हालाँकि, यह अधिनियम जम्मू और पर लागू नहीं है कश्मीर, नागालैंड , मेघालय और मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्र अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं।
3	**अंडमान और निकोबार (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956** - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनली और अन्य आदिवासी जनजातियाँ इस अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।
4	**विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963** - अंडमान और निकोबार द्वीप एक " प्रतिबंधित क्षेत्र" हैं जिसमें विदेशी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में रहते हैं परमिट (**RAP**) रह सकता है।
5	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956** - अंडमान और निकोबार द्वीप के पीवीटीजी के आवासों की रक्षा की गई है **जनजातीय रिजर्व.**
6	**अगस्त 2018 में , पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ,** गृह मंत्रालय (एमएचए) ने **30 द्वीपों को बाहर करने का निर्णय लिया**

अंडमान और निकोबार को आरएपी या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट शासन से मुक्त किया गया

विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित ।

उत्तरी सेंटिनलीज़ द्वीप 30 द्वीपों में से एक था

प्रधान मंत्री कार्यालय ने **2013 में प्रोफेसर वर्जिनियस** की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया। **ज़ाक्सा** । समिति को **आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने और** उसमें सुधार के लिए उचित हस्तक्षेप उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। इसने मई, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की मुख्य सिफारिशें थीं:

- भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की शक्तियों को बढ़ाया और मजबूत किया गया।
- सहकारी समितियों को खनन अधिकार
- अधिग्रहीत लेकिन अप्रयुक्त भूमि का उपयोग आदिवासी पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।
- बड़े बांध के लिए "नहीं"।
- नक्सली अपराधों पर न्यायिक आयोग

जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या

- **जंगल से सम्बंधित समस्याएँ** - आदिवासी समुदाय की आजीविका जंगल पर आधारित है। उन्होंने शिकार, संग्रहण, स्थानांतरित खेती के **अपने पारंपरिक अधिकारों का आनंद लिया** लेकिन वन संरक्षण के नाम पर आधुनिक सरकार के आगमन ने एसटी के आंदोलन को रोक दिया जिससे अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया। इसके अलावा, **उनकी ज़मीनें विभिन्न सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र द्वारा** मामूली मुआवजे के बदले ले ली जाती हैं।
- **गरीबी और शोषण** - आदिवासी आबादी का उनकी मासूमियत के कारण शोषण किया जाता है और उन्हें **गरीबी के चक्र में धकेल दिया जाता है** । वे प्राचीन काल से जंगलों में रहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिबंध के बाद, कई लोग **बंधुआ मजदूर बन गए** और शोषण का शिकार हो रहे हैं। भारत में, **52 प्रतिशत एसटी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में हैं** और उनमें से 54 प्रतिशत के पास संचार और परिवहन जैसी **आर्थिक संपत्तियों तक पहुंच नहीं है (विश्व बैंक, 2011)।**
- **साक्षरता दर - उत्तर-पूर्वी और द्वीपीय क्षेत्रों की जनजातियों** में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक है , लेकिन इसके बावजूद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में **उच्च ड्रॉपआउट दर** और **शिशु मृत्यु दर भी एक समस्या है।**

- **स्वास्थ्य मुद्दे** - पीवीटीजी एनीमिया , मलेरिया जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं; जठरांत्रिय विकार; गरीबी, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अंधविश्वास और वनों की कटाई के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और त्वचा रोग।
- **कृषि - कृषि पर निर्भरता, प्राकृतिक आपदा, फसल की विफलता, भूमि तक कम पहुंच और** रोजगार की कमी आदि जैसे योगदान कारक एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में गरीबी का कारण हैं।
- **बेरोजगारी - द्वीप क्षेत्र के आदिवासियों में** बेरोजगारी की दर अधिक है । एसटी को **जबरन प्रवासन , शोषण , औद्योगीकरण के कारण** विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है , जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण खो गया है, और काम के नए पैटर्न और जीवनयापन के लिए संसाधनों का सामना करने में असमर्थ हैं।
- **बेसलाइन सर्वेक्षणों का अभाव** - भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 75 पीवीटीजी देखे, लगभग 40 समूहों के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण मौजूद हैं , उन्हें पीवीटीजी घोषित करने के बाद भी। बेसलाइन सर्वेक्षण की कमी **कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।**
- **पुरानी सूची** - भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मानना है कि पीवीटीजी की सूची अतिव्यापी और दोहराव वाली है। उदाहरण के लिए, सूची में एक ही समूह के पर्यायवाची शब्द शामिल हैं **जैसे ओडिशा में मैनकिडिया और बिरहोर, दोनों एक ही समूह को संदर्भित करते हैं।**
- **एमएफपी पर अधिक निर्भरता** - लघु वन उत्पाद (एमएफपी) वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए **आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।** एमएफपी से संबंधित अधिकांश व्यापार प्रकृति में **असंगठित रहा** , जिसके कारण संग्रहणकर्ताओं को कम रिटर्न और **सीमित मूल्यवर्धन के कारण उच्च अपव्यय हुआ** ।
- **प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर -** जनजातियों के पास **निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी है** जो आधुनिक समय के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, वे **अभी भी झूम खेती कर रहे हैं** जो पर्यावरण के लिए समस्याग्रस्त है।
- **अपनी पहचान खोना -** आजकल जनजातियाँ अपने जनजातीय दायरे से बाहर आ रही हैं और **तेजी से गैर-आदिवासी आबादी में समाहित हो रही हैं** जिससे वे अपनी जनजातीय संस्कृति, सामाजिक संस्था, भाषा आदि खो रही हैं।

लघु वन उपज (एमएफपी):

· सरकार ने पहले **"न्यूनतम समर्थन मूल्य" नाम से एक योजना शुरू की थी (एमएसपी)** " आदिवासी आबादी के पारिश्रमिक की सुरक्षा के लिए एमएफपी योजना के लिए।

· **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (मान्यता) वन अधिकार) अधिनियम, 2006** लघु वन उपज (एमएफपी) को सभी **गैर-लकड़ी के रूप में परिभाषित करत**

वन उत्पाद और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, बेंत, शामिल हैं
टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू/ केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियाँ,
जड़ें, कंद और इसी तरह।

अंडमान और निकोबार में **जनजातियों की कमज़ोरियाँ** नाजुक जनजातीय समुदायों को बाहरी लोगों द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र के हनन का सामना करना पड़ रहा है। बाहरी प्रभाव उनके भूमि-उपयोग पैटर्न, समुद्र के उपयोग, कुल मिलाकर प्रभावित कर रहे हैं

जैव विविधता से भौतिक और अभौतिक परिवर्तन होते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

वन धन योजना:

· योजना के तहत, **30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयं सहायता समूह** (वन धन)।
विकास समूह) का गठन किया जाएगा। आदिवासियों को कार्यशील पूंजी दी जायेगी
जंगल से एकत्र किए गए उत्पादों का मूल्य जोड़ना।
· वन धन विकास केंद्र कौशल प्रदान करने के लिए **बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान हैं**
उन्नयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, और प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य की स्थापना
अतिरिक्त सुविधाएं.

- **सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के लिए** उन्हें रियायतें प्रदान की जाती हैं । वे हैं, आयु सीमा में छूट, **उपयुक्तता के मानकों में कमी** , और पदोन्नति के प्रयोजन के लिए योग्यता परीक्षाओं के अलावा **कम से कम निचली श्रेणी में शामिल करना।**
- **पांचवीं अनुसूची** अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक **जनजातीय सलाहकार परिषद की** स्थापना का प्रावधान करती है । इन परिषदों का कर्तव्य **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित** ऐसे मामलों पर **सरकार को सलाह देना है अनुसूचित क्षेत्रों का** .
- **जनजातीय और हरिजन अनुसंधान संस्थान** स्थापित किए गए। वे उस सुरक्षा और दस्तावेज़ीकरण के लिए जनजातीय जीवन शैली, कला और रीति-रिवाजों का अध्ययन करते हैं।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना - का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों या महिलाओं को** उनकी आवश्यकता के आधार पर **10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच** ऋण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उनमें **उद्यमिता को बढ़ावा देना है।** टी
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त** : आयुक्त का मुख्य कर्तव्य है -

- संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित **सभी मामलों की जांच करना**
- **को** इन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर **राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें ।**

सिफ़ारिशें:

- जनजातियों के बीच सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक **क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए,** बड़े पैमाने पर **मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग का विकास करके** द्वीप क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ।
- जनजातीय समुदायों को मौजूदा लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए **जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता** है ।
- सकारात्मक दिशा में वनवासियों के बीच **वन उत्पादों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।**
- **स्थायी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना -** कुटीर उद्योगों का विकास, वृक्षारोपण फसलें (जैसे नारियल), मछली पकड़ना, पशुपालन आदि कुछ व्यवहार्य आर्थिक विकल्प हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है।
- **सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें - ANTRI** (अंडमान और निकोबार जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना जनजातीय एकीकरण और PVTGs की सुरक्षा के लिए नीतियां तैयार करने के उद्देश्य से की गई है।

महिलाएं

पिछले कुछ दशकों में महिला सशक्तिकरण दुनिया भर में एक विषय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों ने **लैंगिक समानता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।**

- यह माना जाता है कि **महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी समानता का दावा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकतीं** । समानता के सार के बहुत व्यापक लाभ हैं जिनका आनंद पूरा राष्ट्र उठा सकता है।
- ऐसा कहा जाता है कि **"महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल नैतिक रूप से आवश्यक है, बल्कि देश के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है"** ।
- भारत की कुल जनसंख्या में **महिलाओं का योगदान 48.37% है** (2011 की जनगणना के अनुसार)।

महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्या

- **घरेलू हिंसा और दहेज से होने वाली मौतें - दहेज से होने वाली मौतें उन विवाहित महिलाओं की मौतें हैं जिनकी** दहेज के विवाद को लेकर उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा **लगातार उत्पीड़न और यातना के कारण** हत्या कर दी जाती है या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे महिलाओं का घर उनके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाता है। होना। महिलाओं को **अपने परिवार से सबसे अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है** । महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के सभी दर्ज मामलों में, **सबसे बड़ा हिस्सा 36% मामले "पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" के थे।**
- **नौकरियों का गुलाबी रंगीकरण** - महिलाओं को ज्यादातर "पिंक-कॉलर नौकरियों" के लिए ही उपयुक्त माना जाता है, जैसे कि शिक्षक, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, बेबीसिटर, लेक्चरर, आदि जो महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध हैं। इससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में अवसर नहीं मिलते।
- **कम उम्र में शादी** - विशेषकर लड़कियों की, उनके अवसरों को कम कर देती है, जिससे उन्हें सशक्त होने का मौका नहीं मिलता।
- **बालिकाओं ने** पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसलिए भारतीय लड़कियों में **कुपोषण** और **एनीमिया** दुनिया में सबसे ज्यादा है।
- **शिक्षा -** इसे अस्वीकार कर दिया गया है, और अगर कुछ मामलों में अनुमति भी दी जाती है, तो घरेलू काम के परिणामस्वरूप समय की कमी के कारण लड़की कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाती है।
- **कांच की छत** - भारत में महिलाओं को रूढ़िवादिता, मीडिया से संबंधित मुद्दों, अनौपचारिक सीमाओं जैसी कृत्रिम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने संगठन में प्रबंधन स्तर के पदों पर आगे बढ़ने से रोकती हैं।
- **महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अभाव** - भारतीय **संसद में वर्तमान में 11.8% महिलाएँ हैं प्रतिनिधित्व** , और **राज्य विधानसभाओं में केवल 9% है।** भले ही 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम **अनिवार्य है 33% पंचायत** महिलाओं के लिए **सीटें** आरक्षित की जाएंगी. "सरपंच पति" का प्रचलन **.**
- **पितृसत्तात्मक समाज और लैंगिक भेदभाव** पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है **पुरुष-प्रधान समाज** , और लैंगिक भेदभाव तब होता है जब **एक लिंग को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है** । शिक्षा में भी भेदभाव देखा जाता है क्योंकि लड़कों को अच्छा स्कूल मिलता है जबकि लड़कियों को समान विशेषाधिकार नहीं मिलता है।
- **बेरोजगारी** - महिलाओं के साथ असमान व्यवहार पूरे अस्तित्व में बेरोजगारी के प्रावधान की एक विशेषता रही है। हालाँकि **महिलाओं को आम तौर पर कम वेतन दिया जाता है** , फिर भी कई उद्योगों में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- **डिजिटल साक्षरता में अंतर** - भारत में डिजिटल लिंग अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत के कुल रुचि रखने वाले उपयोगकर्ताओं में से एक तिहाई से भी कम यानी 29% महिलाएँ हैं।

- **इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं** की संख्या पुरुषों की तुलना में 12% कम है।

हाल ही का घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम में परिवर्तन:

· सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक शब्द **"वयस्क पुरुष" को हटा दिया है**
डीवी एक्ट में यह प्रावधान है कि एक महिला भी दूसरी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है
महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है.
· सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव के पीछे जो कारण बताया है, वह है अपराधियों का
और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाली **महिलाएं भी हो सकती हैं** , उन्हें अलग करना निराशाजनक होगा
अधिनियम के उद्देश्य. इस प्रतिरक्षा के तहत महिलाएं और नाबालिग इसे जारी रख सकते हैं
घरेलू हिंसा करना.
· क्योंकि न्यायालय द्वारा संशोधित परिवर्तन डीवी को लिंग तटस्थ बनाता है जिसके अनुसार
कुछ विशेषज्ञों (पीठ सहित) को कानून के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी
एक बेहतर तरीका.
· घरेलू हिंसा की परिभाषा को संशोधित किया गया है - इसमें वास्तविक दुर्व्यवहार भी शामिल है
या दुर्व्यवहार का खतरा जो शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक है
महिला या उसके रिश्तेदारों को गैरकानूनी दहेज की मांग के माध्यम से और अधिक परेशान करना।
· घरेलू हिंसा अधिनियम में अब "लिव-इन पार्टनर", पत्नियाँ, बहनें, विधवाएँ शामिल हैं।
माताएं, एकल महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं जो कानूनी सुरक्षा पाने की हकदार हैं
यह अधिनियम। · अधिनियम सुरक्षा अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है
मेरे लिए महिला को सहायता प्रदान करें.

लिंग संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए सरकारी पहल :

- **रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने** 100 **% ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी सुविधा** लॉन्च की है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि के तहत **नैपकिन** परियोजन। यह **सुनिश्चित करने की दिशा** में एक महत्वपूर्ण कदम है भारतीय महिलाओं के उस वर्ग के लिए **स्वास्थ्य सुरक्षा** , जो सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता के कारण अभी भी मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छ उपकरणों का उपयोग करती हैं।
- **प्रोजेक्ट स्त्री स्वाभिमान -** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**एमईआईटीवाई) ने एक परियोजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों और महिलाओं को किफायती स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने के लिए** एक स्थायी मॉडल बनाना है।

- **नारी पोर्टल - यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना** के तहत एक मिशन मोड परियोजना है (इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है)।
- **ई- संवाद पोर्टल - यह** गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को प्रासंगिक विषयों पर मंत्रालय के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की एक पहल है । ई- संवाद पोर्टल के माध्यम से, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव दे सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं, आदि।

साइबर अपराध जो विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाते हैं:

ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न	यह **उत्पीड़न का एक बहुत ही सामान्य प्रकार है** पत्र, फाइलों के अनुलग्नक भेजकर और फ़ोल्डर यानी ई-मेल के माध्यम से; अब सबसे आम है यानी फेसबुक का उपयोग करने के रूप में , ट्विटर, आदि
साइबर पीछा	इसका अर्थ है **व्यक्त या निहित भौतिक ऐसा ख़तरा** जिसके उपयोग से डर पैदा होता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, ई-मेल, फ़ोन, टेक्स्ट संदेश, वेबकैम, वेबसाइटें, या वीडियो।
अश्लील सामग्री का प्रसार	इसमें **अशोभनीय प्रदर्शन/अश्लील साहित्य शामिल है** (मूल रूप से बाल अश्लीलता), की मेजबानी इन प्रतिबंधित सामग्रियों वाली वेबसाइट
ई-मेल स्पूफ़िंग	एक नकली ईमेल को एक कहा जा सकता है, जो **इसकी उत्पत्ति को ग़लत ढंग से प्रस्तुत करता है** । यह इसकी उत्पत्ति को दर्शाता हैवास्तव में इससे भिन्न होना उत्पत्ति- इस विधि का प्रयोग प्रायः किया जाता है साइबर अपराधी व्यक्तिगत जानकारी निकालने के लिए और बिना सोचे-समझे महिलाओं की निजी तस्वीरें, फिर इन छवियों आदि का उपयोग ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है

भारत में महिला सुरक्षा:

- महिला सुरक्षा में **विभिन्न आयाम शामिल हैं** जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, दहेज, एसिड हमला, आदि।
- **यौन उत्पीड़न महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधा** के रूप में कार्य करता है **और इस धारणा को कायम रखता है कि महिलाएं कमजोर लिंग हैं।** एनसीआरबी डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि यौन उत्पीड़न जीवन के सभी पहलुओं में एक जोखिम है: आश्रय घरों में, कार्यस्थल में, घर में, सार्वजनिक परिवहन पर।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:**
    - **'पीड़ित महिला'** की परिभाषा का विस्तार करता है और इसमें सभी महिलाओं को शामिल करता है, चाहे उनकी उम्र और रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, और इसमें ग्राहकों, ग्राहकों और घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है।
    - यह पारंपरिक कार्यालयों से परे ' **कार्यस्थल' का विस्तार करता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रकार के संगठन शामिल हैं, यहां तक कि गैर-पारंपरिक कार्यस्थल (उदाहरण के लिए वे जिनमें दूरसंचार शामिल है) और काम के लिए कर्मचारियों द्वारा दौरा किए गए स्थान भी शामिल हैं।**
    - अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नियोक्ता द्वारा लिखित आदेश द्वारा **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रतिष्ठानों में **आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना है।**
    - स्थानीय **शिकायत समिति (एलसीसी) उन प्रतिष्ठानों** से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति है **जिनके पास आईसीसी नहीं है क्योंकि उनके पास 10 से कम कर्मचारी हैं,** या जब शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ हो।
- **यौन उत्पीड़न अधिनियम के कार्यान्वयन में मुद्दे:**
    - चूँकि 70% महिलाएँ दुष्परिणामों के डर से वरिष्ठों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं करती हैं।
    - 2015 के एक शोध अध्ययन के अनुसार, 36% भारतीय कंपनियों और 25% बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी तक अपनी आंतरिक शिकायत समिति (ICCs) का गठन नहीं किया है, जो अधिनियम के तहत अनिवार्य है।
    - मामले लंबे समय तक अदालत में लंबित रहने से पीड़ितों की परेशानी बढ़ जाती है।
- **बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव:**
    - **डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने** एसएच अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स **(एसएचई -बॉक्स)** नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन

प्रणाली शुरू की, जो अधिनियम के तहत शिकायत निवारण की एक निगरानी योग्य और पारदर्शी प्रणाली को सक्षम करेगी।

- **डब्ल्यूसीडी मंत्रालय** डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन करेगा।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने, उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने, शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करने और नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए **1992** में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की शुरुआत की गई थी।
- **साइबर अपराध जांच पर कार्यक्रम** - विभिन्न लॉ स्कूल न्यायिक अधिकारियों के लिए साइबर कानूनों और साइबर अपराधों पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में लगे हुए हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में **पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।**
- हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को **24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया** प्रदान करने के लिए **महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की** योजना को मंजूरी दे दी गई है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) का** लक्ष्य भारत सरकार (जीओआई) के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं के कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण हासिल करना है। महिला हेल्पलाइन योजना के तहत **वन-स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई**।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम**) और **परिवार कल्याण कार्यक्रम** पूरे भारत में महिलाओं की मातृ स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है **जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के** प्रावधान के अनुसार देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है।
- किशोर लड़कियों और लड़कों में एनीमिया की उच्च व्यापकता और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए **साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम।**

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जातियाँ देश की वे जातियाँ/नस्लें हैं जो बुनियादी सुविधाओं **की कमी और भौगोलिक अलगाव** के कारण अस्पृश्यता की सदियों पुरानी प्रथा और कुछ अन्य कारणों से **अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं** , और जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके हितों की रक्षा और उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए।

- **संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1** में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अनुच्छेद 341(1) - भारत के **राष्ट्रपति , राज्यपाल से परामर्श के बाद** , निर्दिष्ट कर सकते हैं, "जाति, नस्ल, जनजाति या जातियों या नस्लों के भीतर समूहों के हिस्से, जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा"।

अनुसूचित जाति द्वारा सामना की जाने वाली समस्या

- अनुसूचित जाति को **कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया** , जैसे **पीने का पानी, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक परिवहन, कब्रिस्तान** , आदि। कई बदलाव लाए गए हैं, लेकिन यह एक कठिन वास्तविकता है कि सामाजिक विकलांगता अभी भी कायम है।
- बहुसंख्यकों और समाज के अन्य वर्गों द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति के **मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।** उन्हें **मैला ढोने** , **बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने** आदि के लिए मजबूर किया गया, जो उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन था।
- परंपरागत रूप से, हिंदू **अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं** जो अभी भी जारी है। वे **रहे हैं इलाज शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव**
- कई बार, अनुसूचित जातियों को **मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें अभी भी अछूत माना जाता है (गांधी जी ने उन्हें "हरिजन" कहा था)**। ये विकलांगताएँ आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती हैं और शहरी क्षेत्रों में अधिकतर नहीं देखी जाती हैं।

अनुसूचित जाति के विकास के लिए की गई पहल

- **शैक्षिक सशक्तिकरण:**

  - अनुसूचित जाति के छात्रों को **प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों स्तरों पर** विभिन्न **छात्रवृत्तियाँ** प्रदान की गईं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परिवारों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण शिक्षा से इनकार न किया जाए।

आर्थिक सशक्तिकरण:

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)** : गरीबी रेखा की सीमा से दोगुनी सीमा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की आय-सृजन गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए स्थापित किया गया।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी):** यह एक अन्य **निगम है** जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए **आय-सृजन गतिविधियों के लिए** सफाई कर्मचारियों , मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के बीच **लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।**
- **अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड:** फंड का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हैं और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना है ।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना** - का उद्देश्य देश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों या महिलाओं को उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देना है। टी

सामाजिक सशक्तिकरण

- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: भारत के संविधान के अनुच्छेद 17** के अनुसरण में , अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम **पूरे भारत में लागू है** और अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसे **संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।**
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये अधिनियम, **अत्याचार पीड़ितों को राहत , अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन , जागरूकता सृजन, विशेष विशेष अदालतों** की स्थापना आदि के माध्यम से।

अल्पसंख्यकों -भारतीय संविधान में कहीं भी "अल्पसंख्यक" शब्द को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है । लेकिन कई समूहों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 29	संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार, कोई भी समूह जो भीतर रहता है **इसके संरक्षण और संवर्धन** का अधिकार है

अपनी भाषा, लिपि या साहित्य और संस्कृति ।

अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह चाहे धर्म पर आधारित हो या

अनुच्छेद 36 **अधिकार** होगा **स्थापित करना एवं प्रशासन करना**

उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान ।

भारत में अल्पसंख्यकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है

- **साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगों की समस्या** :
  - जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा और तनाव होता है तो अल्पसंख्यक हित दांव पर लग जाते हैं। 1960 के दशक के बाद सामाजिक अशांति की संख्या भी बढ़ने लगी।
  - इसलिए, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और आवृत्ति के साथ, **अल्पसंख्यक व्यवस्था पर विश्वास खो रहे हैं** और सरकार के लिए उनमें विश्वास बहाल करना बेहद कठिन है।
- **पहचान की समस्या** :
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, इतिहास और पृष्ठभूमि में अंतर** के कारण अल्पसंख्यकों को पहचान के मुद्दे से जूझना पड़ता है
  - बहुसंख्यक समुदाय के साथ **समायोजन की समस्या** उत्पन्न होती है ।
- **सुरक्षा की समस्या** :
  - शेष समाज की तुलना में अलग-अलग पहचान और उनकी कम संख्या उनके जीवन, संपत्ति और कल्याण के बारे में असुरक्षा की भावना पैदा करती है।
  - असुरक्षा की यह भावना उस समय और भी बढ़ सकती है जब समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण हों या बहुत मधुर न हों।
- **सिविल सेवा एवं राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी की समस्या** :
  - भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को समानता और समान अवसर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, यानी मुसलमानों ने बुनियादी मानवीय हितों की इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है। उनमें यह भावना है कि उनकी उपेक्षा की जाती है।
- **अलगाववाद की समस्या:**
  - कुछ क्षेत्रों में कुछ धार्मिक समुदायों द्वारा रखी गई कुछ माँगें दूसरों को स्वीकार्य नहीं हैं। इससे उनके और अन्य लोगों के बीच की दूरी बढ़ गई है (उदाहरण के लिए, कश्मीर में कुछ मुस्लिम चरमपंथियों के बीच मौजूद अलगाववादी प्रवृत्ति और स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना की उनकी मांग दूसरों को स्वीकार्य नहीं है)
- **भारत में मुसलमानों के बीच शिक्षा और रोजगार** :

- शिक्षा क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है लेकिन हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है।
- उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी विशेष रूप से खराब है, स्थान के साथ-साथ घरेलू बंदोबस्ती शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- मुसलमान मुख्य रूप से स्व-रोजगार में लगे हुए हैं और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र में नियमित कार्यकर्ता के रूप में उनकी भागीदारी अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों की तुलना में कम है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम:** अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, जो विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न पहलों को कवर करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है।
- **उस्ताद:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के पारंपरिक पैतृक कला शिल्प के संरक्षण में कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत करना है।
- **हमारी धरोहर** : भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध और विविध विरासत को संरक्षित करना।
- **राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत बनाना** : इसका उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत के लिए सहायता प्रदान करना, राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत करना आदि है।
- **नई रोशनी:** इस योजना की परिकल्पना गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचने के लिए की गई है, जिन्हें **नेतृत्व संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विकास प्रशिक्षण** ताकि महिलाओं को घर और समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलकर नेतृत्व की भूमिका निभाने और सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जा सके।

ग्रामीण आबादी -भारत में अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और यह गांधी जी की पंक्तियों "भारत एक गाँव में रहता है" का सबसे अच्छा उदाहरण है।

- हालाँकि प्रवासन कई वर्षों से हो रहा है, फिर भी **लगभग 65% आबादी गाँव में रहती है** । नवीनतम जनगणना के अनुसार, देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां आजादी के बाद पहली बार जनसंख्या की समग्र वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई है।

ग्रामीण आबादी द्वारा सामना की जाने वाली समस्या

आर्थिक कारक

- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सूखा, बाढ़ आदि एक कीट का आक्रमण होता है।
- मृदा क्षरण 9 छोटी एवं खंडित भूमि-जोत
- मशीनीकरण का अभाव
- मानसून की विफलता उर्वरकों के अवैज्ञानिक उपयोग के कारण बंजर मिट्टी का कारण बनती है
- अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं

सामाजिक परिस्थिति

- उच्च निरक्षरता दर
- अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं
- अकुशल श्रमिक
- लिंग भेद
- स्त्री शिक्षा पर वर्जना
- बाल विवाह का प्रचलन
- कन्या भ्रूण हत्या
- उच्च बेरोजगारी

सरकार द्वारा उठाया गया कदम

- **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई):** जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ओजीएसवाई) पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना ओआरवाई का पुनर्गठित, सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है)। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना** था, गाँव को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएँ, जिससे गाँव अधिक सुलभ हो गया और साथ ही अन्य सामाजिक, शैक्षिक (स्कूल) और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी विकसित हुईं।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई**): यह सरकार द्वारा शुरू की गई थी। भारत सरकार गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सरकार. भारत सरकार ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च और समान तकनीकी और प्रबंधन मानकों को स्थापित करने और राज्य स्तर पर नीति विकास और योजना को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है।
- **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी):** ग्रामीण भारत में गरीबों को आय-सृजित संपत्तियां प्रदान करके, आईआरडीपी ग्रामीण गरीबी को कम करने में महत्वाकांक्षी है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के स्थायी अवसर पैदा करके चिन्हित लक्ष्य समूहों के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे उठाना है। सहायता सरकार द्वारा सब्सिडी और

वित्तीय संस्थानों (वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) द्वारा दिए गए सावधि ऋण के रूप में दी जाती है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा):** नरेगा बिल 2005 में अधिसूचित हुआ और 2006 में लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में संशोधित किया गया। यह योजना 150 दिनों के भुगतान की गारंटी देती है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए काम करें। यह योजना भारतीय ग्रामीण आबादी की आय में एक बड़ा बढ़ावा साबित हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) नरेगा के कार्यान्वयन के लिए **नोडल मंत्रालय है ।** यह राज्यों और केंद्रीय परिषद को समय पर और पर्याप्त संसाधन सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

वरिष्ठ नागरिकों:

2011 की जनगणना के अनुसार , भारत में **8 मिलियन वरिष्ठ नागरिक** (60 वर्ष से अधिक) हैं। आने वाले वर्षों में यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है और **जीवन प्रत्याशा 1960 में 42 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष हो जाएगी** ।

- अनुमान है कि वर्ष 2000 से 2050 के बीच भारत की जनसंख्या 55% बढ़ जायेगी।
- हालाँकि, 60 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक की जनसंख्या में क्रमशः 326% और 700% की वृद्धि होगी। भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के रूप में वर्गीकृत वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत 2015 में 8% से बढ़कर 2050 में 19% होने की उम्मीद है।
- जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के साथ, सरकारें अक्सर परिणामों को कम करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, इसका वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के सामने चुनौतियाँ:

- **डिजिटल निरक्षरता:** परिवार के बड़े सदस्यों की संचार की आधुनिक डिजिटल भाषा को समझने में असमर्थता, बुजुर्ग और युवा सदस्यों के बीच संचार की कमी है। उन्हें डिजिटल योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत महसूस होती है.
- **बुजुर्गों का ग्रामीणीकरण : 2011 की जनगणना** के अनुसार , 71 प्रतिशत बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहते हैं। शहरी बुजुर्गों की तुलना में ग्रामीण बुजुर्गों में **आय की असुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पर्याप्त पहुंच की कमी और अलगाव जैसी** समस्याएं अधिक हैं ।

- **प्रवासन और उसका प्रभाव:** युवा लोगों के प्रवासन के कारण, बुजुर्गों को अकेले या केवल अपने जीवनसाथी के साथ रहना पड़ता है और उन्हें सामाजिक अलगाव, गरीबी और संकट का सामना करना पड़ता है ।

मौजूदा नीतियों का कार्यान्वयन:

- 12 वीं योजना में शामिल हैं: (ए) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के लिए जागरूकता सृजन की एक योजना, (बी) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करना , (सी) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, और (डी)) वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना।
- **सामाजिक पेंशन:** गरीबों और निराश्रितों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- **वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी), 1999:** इसमें वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य ज़रूरतें, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के समर्थन की परिकल्पना की गई है। .
- इसके अंतर्गत शुरू की गई कई योजनाएं हैं: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017, गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने की योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, आदि।

पश्चिमी गोलार्ध:

- वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।
- सरकार के विभिन्न हितधारकों और विभागों को शामिल करते हुए एक एकीकृत कार्य योजना विकसित की जानी चाहिए।
- वृद्धाश्रमों और वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार: हर जिले में एक वृद्धाश्रम सुनिश्चित करने के लिए अधिक वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- वृद्धाश्रमों के लिए मानदंड और दिशानिर्देश: वृद्धाश्रमों के लिए मानकीकृत मानदंड और दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए, विशेष रूप से इमारतों के डिजाइन और इन घरों के प्रबंधन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से संबंधित।

विकलांग व्यक्ति:

विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अपने दैनिक जीवन में कलंक का अनुभव करते हैं और सम्मान से समझौता करते हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार, **68 करोड़ लोग** विकलांग हैं और वे देश की कुल

जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं, **लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार** , दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी रूप में विकलांगता का सामना करती है।

- **पुरुषों के साथ विकलांगता 56% है,** और **विकलांग महिलाएं शेष 44% हैं।** इनमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, चलने-फिरने और मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है, और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज का अनिवार्य आदेश देता है। इसलिए, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है।
- भारत **एशिया प्रशांत में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है।**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के स्तर की बाधाओं के भीतर विकलांगता से प्रभावित लोगों के लिए शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का आदेश देता है । संविधान विषयों की अनुसूची में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालता है।

विकलांग वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली समस्या

- **एकांत:**
- विकलांग लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज की यह गलत धारणा रही है कि वे सामान्य नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप से उन पर दया की जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि संस्थानों में भी छिपा दिया जाता है।
- **भेदभाव:**
- विकलांग लोगों में बाकी आबादी की तरह कुछ क्षमताएं, ज़रूरतें और रुचियां होती हैं। फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भेदभाव जारी रहा। कुछ नियोक्ता विकलांग लोगों को नौकरी पर रखने या उन्हें बढ़ावा देने में अनिच्छुक थे; कुछ जमींदारों ने उन्हें जमीन किराये पर देने से इंकार कर दिया; और अदालतें कभी-कभी उन्हें अपने बच्चों की हिरासत सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित कर देती हैं। हाल के दशकों में, कानून और सार्वजनिक दृष्टिकोण में समायोजन के माध्यम से इस स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं
- **आधारभूत संरचना:**
- से सार्वजनिक परिवहन में वाहनों के ऊंचे और असंगत कदम), विकलांगों के अनुकूल होने के उचित प्रावधानों के बिना बनाए जा रहे सार्वजनिक और निजी भवनों से संबंधित समस्याएं। भारत में सार्वजनिक भवनों में विकलांग-अनुकूल शौचालयों, सीढ़ियों और अन्य बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति अभी भी एक बड़ी समस्या है।

- **सीमित निगरानी क्षमता:**
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल विभाग है, जिसके पास कई योजनाएं हैं। हालाँकि, इनमें से कई योजनाओं में बहुत कम आवंटन होता है, और जो संसाधन आवंटित किए जाते हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। विभाग के भीतर निगरानी क्षमता भी सीमित है जो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कई योजनाएं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

सरकार द्वारा उठाया गया कदम

- **विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 - अधिनियम के प्रावधान:**
  - यह अधिनियम एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर विकलांगता को परिभाषित करता है।
  - अधिनियम के तहत, **विकलांगता के प्रकारों को** 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार को निर्दिष्ट विकलांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
  - **"बेंचमार्क विकलांगता"** वाले व्यक्तियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास अधिनियम में उल्लिखित **कम से कम 40 प्रतिशत** विकलांगताएं होने का प्रमाण पत्र है।
  - 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच **बेंचमार्क विकलांगता वाले** प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
  - **सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण** 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
  - दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में **विशेष अदालतें नामित की जाएंगी** ।
  - यह अधिनियम **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है।**
  - **प्रधानमंत्री के सुगम्य भारत अभियान को** मजबूत करने के लिए सार्वजनिक भवनों **(सरकारी और निजी दोनों) में** निर्धारित समय-सीमा में पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- हाल ही में, गृह मंत्रालय ने विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DiDRR) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए। DiDRR जोखिमों को कम करके और प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।
- हाल ही में, **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 (नियम)** को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के पूरक के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह

अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। विकलांगताएँ।

- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)
- विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना **(एडीआईपी योजना)**
- विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 **(एसआईपीडीए)**
- जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

सुगम्य भारत अभियान:

- यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) का राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है।
- **अभियान का उद्देश्य :** पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना।
- यह विकलांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित है, कि विकलांगता समाज के संगठित होने के तरीके के कारण होती है, न कि व्यक्ति की सीमाओं और हानियों के कारण।
- इसे तीन कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है: निर्मित पर्यावरण; परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र

पश्चिमी गोलार्ध:

- **संस्थागत सुधार:**
    - PwD के लिए एक मजबूत और अधिक प्रत्यक्ष भूमिका के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। DEPwD द्वारा प्रशासित योजनाओं की संख्या को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।
    - यह विवेकपूर्ण होगा कि पर्याप्त बजटीय आवंटन के साथ सीमित संख्या में योजनाएं लागू की जाएं और अच्छी तरह से निगरानी की जाए।
    - केंद्रीय और राज्य आयुक्त कार्यालयों की वित्तीय और मानव संसाधन क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हो सकें।
- **दिव्यांगजनों के लिए सहायता/सहायक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में सुधार :**
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सहायता वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत उम्र से संबंधित विकलांगताओं से पीड़ित है।
- **शिक्षा को सुदृढ़ बनाना:**

- जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने विकलांग बच्चों के प्रवेश और ठहराव पर विशेष ध्यान देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया है।
- एनसीईआरटी के एक अध्ययन में पाया गया कि राज्यों के स्कूलों में विकलांग बच्चों को अभी भी गंभीर बुनियादी ढांचे और शिक्षाशास्त्र संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में यूनिवर्सल डिज़ाइन दिशानिर्देशों के तहत प्रत्येक कक्षा का कम से कम एक अनुभाग सुलभ होना चाहिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **शिक्षा** : सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है, और यह उन्हें सशक्त बनाने के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध उपकरण है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से किसी भी कारक के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के माध्यम से यौन शिक्षा, एक धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम और असहिष्णुता की कला को शामिल करना महत्वपूर्ण है जो न केवल जागरूकता लाता है बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने के लिए लोगों के एक बड़े वर्ग को संगठित करने में भी मदद करता है।
- **आर्थिक अवसर** : भारत सरकार को कमजोर लोगों के रूप में पहचाने गए लोगों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने चाहिए। क्योंकि वर्तमान समाज लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त होने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होने की मांग करता है। मनरेगा, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रदान करना ऐसी हस्तक्षेपकारी रणनीतियाँ हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा योजना बढ़ाएँ** : भारत सरकार के लिए उन्हें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन योजनाएँ, बीमा योजनाएँ आदि प्रदान करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। पेंशन न केवल संगठित क्षेत्र के रोजगार पर बल्कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर भी केंद्रित होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रकार **2. अभिकथन-कारण प्रश्न**

3.आलोचनात्मक सोच-आधारित प्रश्न **4. बहुविकल्पीय प्रश्न**

5.केस स्टडी आधारित प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रकार

1. प्रश्न: भारत का संविधान क्या है?

   उत्तर: भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है।

2. प्रश्न: भारत में राज्य का प्रमुख कौन है?

   उत्तर: भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।

3. प्रश्न: भारत में सरकार का मुखिया कौन है?

   उत्तर: भारत का प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

4. प्रश्न: लोकसभा (लोकसभा) के लिए आम चुनाव कितनी बार होते हैं?

   उत्तर: लोकसभा के आम चुनाव हर पांच साल में होते हैं।

5. प्रश्न: भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है?

   उत्तर: भारतीय संविधान द्वारा छह मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।

6. प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है?

   उत्तर: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।

7. प्रश्न: भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

   उत्तर: भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।

8. प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है?

   उत्तर: भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।

9. प्रश्न: राज्य सभा क्या है?

   उत्तर: राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।

10. प्रश्न: राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?

    उत्तर: राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।

11. प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है?

    उत्तर: भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं।

12. प्रश्न: लोकसभा (लोगों का सदन) के सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

    उत्तर: लोकसभा के सदस्य आम चुनाव के माध्यम से सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

13. प्रश्न: भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

    उत्तर: भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।

14. प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?

    उत्तर: प्रस्तावना संविधान के बुनियादी मूल्यों और आकांक्षाओं को रेखांकित करती है।

15. प्रश्न: भारत के चुनाव आयोग की संरचना क्या है?

    उत्तर: भारत का चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों से बना है।

16. प्रश्न: राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?

    उत्तर: राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य है।

17. प्रश्न: संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है?

उत्तर: संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

18.प्रश्न: लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है?

उत्तर: अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है।

19.प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक कार्य क्या है?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक कार्य संविधान के संरक्षक और अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करना है।

20.प्रश्न: संविधान में 73वें और 74वें संशोधन का क्या महत्व है?

उत्तर: 73वें और 74वें संशोधन ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना हुई।

2. अभिकथन-कारण प्रश्न

प्रश्न 1: दावा: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन ने भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित कर दिया है। **कारण:** जीएसटी कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है और उन्हें एक कर संरचना के तहत एकीकृत करता है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 2: दावा: भारत का कृषि क्षेत्र मानसून परिवर्तनशीलता के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। **कारण:** भारत की कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर करता है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.

- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 3: दावा: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया जा सकता है। **कारण:** भारत में एक बड़ी और युवा आबादी है, जो उत्पादक कार्यबल में योगदान दे सकती है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 4: दावा: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। **कारण:** भारत में एक अच्छी तरह से विकसित आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 5: दावा: मुद्रास्फीति व्यक्तियों की क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकती है। **कारण:** जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, तो मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम सामान और सेवाएँ खरीदती है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 6: दावा: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **कारण:** एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता लाता है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सकता है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.

- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 7: दावा: मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। **कारण:** विनिर्माण उत्पादन बढ़ने से नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं और भारत की निर्यात क्षमता बढ़ सकती है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 8: दावा: भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी करती है। **कारण:** कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक और अनियमित रोजगार में लगा हुआ है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 9: दावा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। **कारण:** RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

प्रश्न 10: दावा: भारत में निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। **कारण:** पर्याप्त बुनियादी ढाँचा परिवहन और संचार में बाधाओं को कम करके उत्पादकता बढ़ाता है।

उत्तर:

- दावा सत्य है.
- कारण सत्य है.
- कारण कथन की व्याख्या करता है।

3.आलोचनात्मक सोच-आधारित प्रश्न

प्रश्न 1: प्रश्न: क्या किसी देश को पर्यावरण संरक्षण पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए?

उत्तर: उत्तर किसी के दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है, जबकि अन्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हैं।

प्रश्न 2: प्रश्न: क्या कंपनियों के लिए विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लक्षित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करना नैतिक है?

उत्तर: इस प्रश्न में संभावित गोपनीयता संबंधी चिंताओं के विरुद्ध वैयक्तिकृत विज्ञापन के लाभों को तौलना शामिल है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें हैं।

प्रश्न 3: प्रश्न: क्या कॉलेज की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए?

उत्तर: इस प्रश्न में आर्थिक निहितार्थ, शिक्षित आबादी के संभावित लाभ और मुफ्त शिक्षा के वित्तपोषण की चुनौतियों पर विचार करना शामिल है।

प्रश्न 4: प्रश्न: क्या सार्वजनिक नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के नाम पर सेंसरशिप कभी उचित है?

उत्तर: यह प्रश्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था या सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन के बारे में बहस उठाता है।

प्रश्न 5: प्रश्न: क्या स्वचालन और एआई नौकरी बाजार के लिए खतरा या अवसर हैं? **उत्तर:** इस प्रश्न के लिए बढ़ी हुई दक्षता के संभावित लाभों और नौकरी विस्थापन की संभावित कमियों की जांच करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 6: प्रश्न: क्या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) को वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समाधान के रूप में अपनाया जाना चाहिए?

उत्तर: इस प्रश्न में संभावित स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताओं के मुकाबले बढ़ी हुई फसल उपज के लाभों का आकलन करना शामिल है।

प्रश्न 7: प्रश्न: क्या किसी सरकार के लिए सूचना प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट पहुंच को प्रतिबंधित करना कभी उचित है?

उत्तर: इस प्रश्न के लिए व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के सूचना तक पहुँचने और खुद को अभिव्यक्त करने के अधिकारों के उल्लंघन के बीच संतुलन पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 8: प्रश्न: क्या ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियां लागू की जानी चाहिए?

उत्तर: इस प्रश्न में निष्पक्षता और समान व्यवहार की चिंताओं के विरुद्ध पिछले अन्यायों को संबोधित करने की आवश्यकता को तौलना शामिल है।

प्रश्न 9: प्रश्न: क्या आर्थिक विकास का लक्ष्य आय असमानता को कम करने के लक्ष्य के अनुकूल है?

उत्तर: यह प्रश्न यह सुनिश्चित करने की चुनौती उठाता है कि आर्थिक विकास आय असमानताओं को बढ़ाने के बजाय समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे।

प्रश्न 10: प्रश्न: क्या वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था अंततः व्यक्तिगत राष्ट्रों के लिए लाभदायक है या हानिकारक?

उत्तर: इस प्रश्न के लिए राष्ट्रों के बीच आर्थिक अंतरनिर्भरता और संप्रभुता, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 11: प्रश्न: क्या स्वास्थ्य देखभाल को मौलिक मानव अधिकार माना जाना चाहिए?

उत्तर: इस प्रश्न में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करने के नैतिक दायित्व और ऐसी प्रणाली को लागू करने की व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा शामिल है।

प्रश्न 12: प्रश्न: क्या सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) की अवधारणा व्यवहार्य और वांछनीय है?

उत्तर: इस प्रश्न के लिए गरीबी, कार्य प्रोत्साहन और सरकारी वित्त पर यूबीआई के संभावित प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 13: प्रश्न: क्या मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सैन्य बल का उपयोग कभी उचित है?

उत्तर: इस प्रश्न में मानवाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने या स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सैन्य हस्तक्षेप के नैतिक विचारों पर चर्चा शामिल है।

प्रश्न 14: प्रश्न: क्या सांस्कृतिक सापेक्षवाद सार्वभौमिक मानवाधिकारों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है?

उत्तर: यह प्रश्न विविध सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करने और मौलिक मानवाधिकारों को कायम रखने के बीच टकराव के बारे में बहस उठाता है।

प्रश्न 15: प्रश्न: क्या नवीकरणीय ऊर्जा विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक व्यवहार्य समाधान है?

उत्तर: इस प्रश्न में स्केलेबिलिटी और ऊर्जा भंडारण की चुनौतियों के मुकाबले जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के संभावित लाभों का आकलन करना शामिल है।

प्रश्न 16: प्रश्न: क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कानूनी व्यक्तित्व या अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए?

उत्तर: इस प्रश्न में समाज में एआई की भूमिका के नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर चर्चा करना शामिल है और क्या यह कानूनी मान्यता की गारंटी देता है।

प्रश्न 17: प्रश्न: क्या आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच कोई अंतर्निहित संघर्ष है?

उत्तर: इस प्रश्न के लिए आर्थिक गतिविधियों के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने और सतत विकास प्राप्त करने के तरीकों की खोज करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 18: प्रश्न: क्या लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप है, या क्या वैकल्पिक प्रणालियाँ हैं जो अधिक प्रभावी हो सकती हैं?

उत्तर: इस प्रश्न में अन्य मॉडलों की तुलना में लोकतांत्रिक शासन की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करना शामिल है।

प्रश्न 19: प्रश्न: क्या दवा कंपनियों को दवा की कीमतें तय करते समय लाभ या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए?

उत्तर: यह प्रश्न नवाचार को प्रोत्साहित करने और आवश्यक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के बारे में नैतिक चिंताओं को उठाता है।

प्रश्न 20: प्रश्न: क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में कभी मानव रचनात्मकता और चेतना की नकल कर सकती है?

उत्तर: इस प्रश्न में चेतना की प्रकृति, रचनात्मकता और एआई प्रौद्योगिकी की क्षमताओं और सीमाओं पर चर्चा शामिल है।

3. **बहु विकल्पीय प्रश्न**

प्रश्न 1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र है?

विकल्प: ए) कृषि बी) विनिर्माण सी) सेवाएं डी) खनन

उत्तर: सी) सेवाएँ

प्रश्न 2: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? **विकल्प:** ए) औद्योगिक विकास को अधिकतम करना बी) कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करना सी) मूल्य स्थिरता बनाए रखना डी) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

उत्तर: सी) मूल्य स्थिरता बनाए रखना

प्रश्न 3: "राजकोषीय घाटा" शब्द किससे संबंधित है?

विकल्प: ए) निर्यात और आयात के बीच का अंतर

b) सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर c) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के निवेश के बीच का अंतर

घ) सकल बचत और सकल निवेश के बीच अंतर

उत्तर: बी) सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर

प्रश्न 4: प्रश्न: किस कर सुधार का उद्देश्य भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को एकल एकीकृत कर से बदलना था?

विकल्प: ए) मूल्य वर्धित कर (वैट)

बी) आयकर

ग) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

घ) उत्पाद शुल्क

उत्तर: सी) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

प्रश्न 5: प्रश्न: "मेक इन इंडिया" पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है?

विकल्प: ए) कृषि

बी) सेवाएँ

ग) विनिर्माण

घ) सूचना प्रौद्योगिकी

उत्तर: सी) विनिर्माण

प्रश्न 6: प्रश्न: "जनसांख्यिकीय लाभांश" शब्द का तात्पर्य क्या है? **विकल्प:** ए) जन्म दर में वृद्धि

बी) मृत्यु दर में कमी

ग) ग्रामीण से शहरी आबादी में बदलाव

घ) आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आयु संरचना

उत्तर: घ) आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आयु संरचना

प्रश्न 7: प्रश्न: भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का संकलन और प्रकाशन कौन सा संगठन करता है?

विकल्प: ए) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)

बी) वित्त मंत्रालय

ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

घ) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

उत्तर: डी) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

प्रश्न 8: प्रश्न: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

विकल्प: ए) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना

ख) ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना

ग) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी

घ) कृषि उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करना

उत्तर: सी) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देना

प्रश्न 9: प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का मुख्यालय किस शहर में है?

विकल्प: ए) मुंबई बी) नई दिल्ली सी) बैंगलोर डी) कोलकाता

उत्तर: ए) मुंबई

प्रश्न 10: प्रश्न: कौन सा आर्थिक शब्द किसी विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है? **विकल्प:** ए) राष्ट्रीय ऋण बी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) डी) व्यापार संतुलन

उत्तर: बी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

प्रश्न 11: प्रश्न: खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के कारण किस भारतीय राज्य को "भारत का अन्न भंडार" कहा जाता है? **विकल्प:** ए) उत्तर प्रदेश बी) महाराष्ट्र सी) पंजाब डी) तमिलनाडु

उत्तर: सी) पंजाब

प्रश्न 12: प्रश्न: कौन सा मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये को दर्शाता है? **विकल्प:** ए) आर बी) रु सी) आईएनआर डी) रु

उत्तर: डी) ₹

प्रश्न 13: प्रश्न: किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? **विकल्प:** ए) राष्ट्रीय ऋण बी) व्यापार अधिशेष सी) राजकोषीय घाटा डी) व्यापार संतुलन

उत्तर: d) व्यापार संतुलन

प्रश्न 14: प्रश्न: किस भारतीय राज्य को उसके संपन्न आईटी उद्योग के कारण "भारत की सिलिकॉन वैली" के रूप में जाना जाता है? **विकल्प:** ए) केरल बी) कर्नाटक सी) तेलंगाना डी) महाराष्ट्र

उत्तर: बी) कर्नाटक

प्रश्न 15: प्रश्न: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का लक्ष्य किस दृष्टिकोण से गरीबी कम करना है? **विकल्प:** ए) शहरीकरण बी) औद्योगिकीकरण सी) कौशल विकास डी) स्वयं सहायता समूह और आजीविका समूह

उत्तर: डी) स्वयं सहायता समूह और आजीविका समूह

प्रश्न 16: प्रश्न: कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना और मुंबई में स्थित है? **विकल्प:** ए) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) बी) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सी) कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (केएसई) डी) चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई)

उत्तर: बी) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)

प्रश्न 17: प्रश्न: "प्रधानमंत्री जन धन योजना" का उद्देश्य क्या है? **विकल्प:** ए) ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना बी) स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना सी) सभी परिवारों को बैंक खाते प्रदान करके वित्तीय समावेशन डी) बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास

उत्तर: सी) सभी परिवारों को बैंक खाते प्रदान करके वित्तीय समावेशन

प्रश्न 18: प्रश्न: भारत में मौद्रिक नीति बनाने और लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? **विकल्प:** ए) वित्त मंत्रालय बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) डी) भारतीय योजना आयोग

उत्तर: बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

प्रश्न 19: प्रश्न: कौन सा भारतीय शहर अपने हीरे की कटाई और पॉलिशिंग उद्योग के कारण "भारत का हीरा शहर" के रूप में जाना जाता है? **विकल्प:** ए) सूरत बी) जयपुर सी) हैदराबाद डी) मुंबई

उत्तर: ए) सूरत

प्रश्न 20: प्रश्न: कौन सा आर्थिक शब्द किसी देश के निवासियों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है? **विकल्प:** ए) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बी) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) सी) राष्ट्रीय आय डी) शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी)

उत्तर: बी) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)

5.केस स्टडी आधारित प्रश्न

केस स्टडी 1: भारत में बेरोजगारी की चुनौतियाँ

प्रश्न: भारत बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत में बेरोजगारी में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करें और नीतिगत उपाय सुझाएं जो इस मुद्दे का समाधान कर सकें।

उत्तर: भारत में बेरोजगारी में योगदान देने वाले कारकों में जनसंख्या वृद्धि, उचित कौशल की कमी, सीमित औपचारिक नौकरी के अवसर और अपर्याप्त श्रम बाजार सुधार शामिल हैं। इसे संबोधित करने के

लिए, सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों, उद्यमिता को बढ़ावा देने, श्रम-गहन उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक नियमों को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

केस स्टडी 2: विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव

प्रश्न: भारत में 2016 में लागू की गई विमुद्रीकरण नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा करें।

उत्तर: नोटबंदी का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार कम करना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना था। हालांकि इससे अनौपचारिक क्षेत्र में अल्पकालिक व्यवधान पैदा हुआ, इसने डिजिटलीकरण, अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण और कर अनुपालन में वृद्धि को भी प्रोत्साहित किया। हालाँकि, नीति के कार्यान्वयन की चुनौतियों ने कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया।

केस स्टडी 3: कृषि और जलवायु परिवर्तन

प्रश्न: भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का परीक्षण करें। उदाहरण दें कि मौसम के बदलते मिजाज ने फसल की पैदावार को कैसे प्रभावित किया है और कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियां सुझाएं।

उत्तर: जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून पैटर्न, लू और चरम मौसम की घटनाओं के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, सूखे के कारण फसल बर्बाद हो सकती है, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश करना और फसल बीमा प्रदान करना जोखिमों को कम कर सकता है।

केस स्टडी 4: भारत में ई-कॉमर्स ग्रोथ

प्रश्न: भारत में ई-कॉमर्स के विकास का अन्वेषण करें। इसके विस्तार में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डालें और पारंपरिक खुदरा व्यवसायों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।

उत्तर: भारत में ई-कॉमर्स की वृद्धि इंटरनेट पहुंच, सुविधा और छूट में वृद्धि से प्रेरित है। जबकि इसने उपभोक्ता विकल्पों का विस्तार किया है और लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी में नौकरियां पैदा की हैं, पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुछ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रणनीतियों को एकीकृत करके अपना लिया है।

केस स्टडी 5: जीएसटी कार्यान्वयन और चुनौतियाँ

प्रश्न: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करें। इससे अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों और इसके कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर: जीएसटी कई अप्रत्यक्ष करों को एकल कर संरचना से प्रतिस्थापित करके कराधान को सुव्यवस्थित करता है। यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, कर चोरी को कम करता है और अनुपालन को

सरल बनाता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में प्रारंभिक तकनीकी गड़बड़ियों, छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूलन चुनौतियों और एक जटिल कर संरचना का सामना करना पड़ा जिसके लिए निरंतर समायोजन की आवश्यकता थी।

केस स्टडी 6: कार्यबल में कौशल अंतर

प्रश्न: भारत के कार्यबल में कौशल अंतर की जांच करें। सबसे महत्वपूर्ण कौशल की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों की पहचान करें और इस अंतर को पाटने के तरीके सुझाएं।

उत्तर: भारत के कार्यबल में अक्सर प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा मांगे जाने वाले आवश्यक कौशल का अभाव होता है। कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग-अकादमिक सहयोग और STEAM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, गणित) शिक्षा पर जोर कौशल अंतर को पाटने और रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

केस स्टडी 7: शहरीकरण और बुनियादी ढाँचा चुनौतियाँ

प्रश्न: भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। बढ़ते शहरों के सामने आने वाले बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर प्रकाश डालें और उनके समाधान के लिए समाधान प्रस्तावित करें।

उत्तर: तेजी से शहरीकरण के कारण अत्यधिक जनसंख्या, अपर्याप्त आवास, यातायात की भीड़ और पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं पर दबाव पड़ता है। स्मार्ट सिटी पहल, शहरी नियोजन, किफायती आवास योजनाओं और कुशल सार्वजनिक परिवहन में निवेश करने से इन चुनौतियों को कम करने और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है।

केस स्टडी 8: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और श्रम अधिकार

प्रश्न: भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की व्यापकता और श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के उपाय सुझाएं।

उत्तर: भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा, लाभ और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। श्रम कानूनों को मजबूत करना, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन तक पहुंच प्रदान करना और अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक बनाना श्रमिकों की भलाई को बढ़ा सकता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है।

केस स्टडी 9: खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)।

प्रश्न: भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने को लेकर चल रही बहस का परीक्षण करें। खुदरा क्षेत्र को वैश्विक खिलाड़ियों के लिए खोलने के संभावित लाभों और कमियों पर चर्चा करें।

उत्तर: मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति से निवेश आकर्षित हो सकता है, आपूर्ति श्रृंखला बढ़ सकती है और नौकरियां पैदा हो सकती हैं। हालाँकि, इसका असर छोटे खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक

बाज़ारों पर भी पड़ सकता है। सावधानीपूर्वक विनियमन, स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश, और आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से छोटे खुदरा विक्रेताओं का समर्थन संभावित कमियों को कम कर सकता है।

केस स्टडी 10: ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन

प्रश्न: ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करें। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लाभों और वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर: डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, नकदी पर निर्भरता कम करते हैं और ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाते हैं। हालाँकि, चुनौतियों में डिजिटल निरक्षरता, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा के बारे में चिंताएँ शामिल हैं। सरकारी समर्थन और निजी खिलाड़ियों के साथ सहयोग इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है।